

## विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. परिचायक टिप्पणी	(iii)
<b>भाग क - प्राप्ति</b>	
2. प्राप्तियों का सार	1
3. कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	
I. कर राजस्व	2-6
II. कर-भिन्न राजस्व	7-13
III. पूंजीगत प्राप्तियां	14-20
<b>अनुबन्ध:</b>	
1. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	21
2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	22
3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	23
4. ब.अ. 2018-2019 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	24
4क. सं.अ. 2017-2018 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
4ख. वास्तविक 2016-2017 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	26
5. जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	27
6. कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	28
7. केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18	29-47
8. 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	48

## भाग ख - परिसंपत्ति एवं देनदारी विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	51
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	52
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	53
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	54-56
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	57
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	58-60
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	60
2ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	60
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	60
2घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	61
2ङ.	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2ज-ट.	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	61-62
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	63-64
4.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	65-67
5.	विदेशी सहायता	68-70
6.	2018-2019 में चुकाने के लिए बकाया बाजार ऋण	71

## परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में विभाजित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक (2016-17), संशोधित अनुमान (2017-18) और बजट अनुमान (2018-19) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4,4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की आस्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण देश की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

प्राप्तियों का सार

(₹ करोड़)

	2016-2017 वास्तविक	2017-2018 बजट अनुमान	2018-2019 संशोधित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>				
<b>1. कर राजस्व</b>				
सकल कर राजस्व	<b>1715822.40</b>	<b>1911579.46</b>	<b>1946119.15</b>	<b>2271241.56</b>
निगम कर	484923.86	538744.73	563744.73	621000.00
आय कर	364604.38	441255.27	441255.27	529000.00
धन कर	185.14	...	...	...
सीमा शुल्क	225370.34	245000.00	135242.00	112500.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	382094.41	406900.00	276995.00	259600.00
सेवा कर	254498.74	275000.00	79507.00	...
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	...	...	444631.00	743900.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	4145.53	4679.46	4744.15	5241.56
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	<b>6450.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>3660.00</b>	<b>2500.00</b>
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	<b>608000.31</b>	<b>674565.45</b>	<b>673005.29</b>	<b>788092.52</b>
केन्द्र का निवल कर राजस्व	<b>1101372.09</b>	<b>1227014.01</b>	<b>1269453.86</b>	<b>1480649.04</b>
<b>2. कर-भिन्न राजस्व</b>				
ब्याज प्राप्तियां	16228.98	19020.73	13550.66	15162.05
लाभांश तथा लाभ	123016.55	142430.49	106433.24	107311.96
अन्य कर-भिन्न राजस्व	131781.33	125788.20	114113.31	120552.64
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1804.03	1517.65	1876.43	2062.10
<b>जोड़ कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>272830.89</b>	<b>288757.07</b>	<b>235973.64</b>	<b>245088.75</b>
<b>I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1374202.98</b>	<b>1515771.08</b>	<b>1505427.50</b>	<b>1725737.79</b>
<b>3. पूंजी प्राप्तियां</b>				
<b>क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां</b>				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	17629.56	11932.25	17473.33	12199.08
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	47742.55	72500.00	100000.00	80000.00
जोड़	65372.11	84432.25	117473.33	92199.08
<b>ख. ऋण प्राप्तियां *</b>				
3. बाजार ऋण (निवल)	349656.57	348226.40	402393.72	390120.49
4. अदायगी के लिए बाजार ऋण	174846.22	156773.60	139590.28	143477.87
5. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	59657.16	75000.00	57016.00	71941.00
6. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	40510.16	25000.00	42984.00	28059.00
7. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-40510.16	-25000.00	-42984.00	-28059.00
8. बाजार ऋण (सकल) (3+4+5)	584159.95	580000.00	599000.00	605539.36
9. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	5549.66	2002.00	77469.90	17000.00
10. विदेशी ऋण (निवल)	17996.60	15789.00	2417.79	-2588.61
11. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	67435.14	100157.16	102628.00	75000.00
12. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	17745.42	14000.00	15000.00	17000.00
13. अन्य प्राप्तियां (निवल)	86130.36	53512.69	34318.82	84678.55
<b>14. जोड़ ऋण प्राप्तियां (3+9+10+11+12+13)</b>	<b>544513.75</b>	<b>533687.25</b>	<b>634228.23</b>	<b>581210.43</b>
<b>II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (1+2+14)</b>	<b>609885.86</b>	<b>618119.50</b>	<b>751701.56</b>	<b>673409.51</b>
<b>4. नकदी शेष का कम आहरण</b>	<b>-8895.13</b>	<b>12844.20</b>	<b>-39379.00</b>	<b>43066.00</b>
<b>जोड़ प्राप्तियां (1+11)</b>	<b>1984088.84</b>	<b>2133890.58</b>	<b>2257129.06</b>	<b>2399147.30</b>
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)	...	...	...	...

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

# जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

\* प्राप्तियां भुगतान को घटाकर

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि और अग्रिम आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

23341.54 51375.01 51525.00 51375.00

## कर राजस्व

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
<b>कर राजस्व</b>						
<b>1. निगम कर</b>						
1.01.	संग्रहण	0020	404746.05	475502.85	491923.85	527750.39
1.02.	अधिभार	0020	20109.75	47550.29	55401.13	63711.15
1.03.	शिक्षा उपकर	0020	13998.55	15691.59	16419.75	29538.46
1.04.	शास्तियां	0020	199.98	...	...	...
1.05.	व्याज वसूली	0020	2281.51	...	...	...
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41417.86	...	...	...
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	1993.00	...	...	...
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	177.16	...	...	...
जोड़-निगम कर			484923.86	538744.73	563744.73	621000.00
<b>2. आय पर कर</b>						
2.01.	संग्रहण	0021	324421.34	412477.27	412477.27	461182.33
2.02.	अधिभार	0021	2298.97	9347.50	9347.50	36894.59
2.03.	शिक्षा उपकर	0021	10265.63	9662.60	9662.60	19923.08
2.04.	शास्तियां	0021	310.74	...	...	...
2.05.	व्याज वसूली	0021	3087.37	...	...	...
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	10.05	...	...	...
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	110.40	...	...	...
2.08.	बैंकिंग लेन-देन कर	0036	...	...	...	...
2.09.	प्रतिभूति लेन-देन कर	0034	8998.12	7767.90	7767.90	11000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.48	...	...	...
2.11.	व्याज कर	0024	4.98	...	...	...
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-66.89	...	...	...
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	...	...	...	...
2.13.01.	व्यय कर	0028	3284.04	...	...	...
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	8192.13	...	...	...
2.13.03.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 हेतु कराधान और निवेश व्यवस्था	0028	1905.51	...	...	...
2.13.04.	अन्य प्राप्तियां	0028	1070.87	...	...	...
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			14452.55	...	...	...
2.14.	भू राजस्व	0029	...	...	...	...
2.15.	स्टॉप एवं पंजीकरण	0030	...	...	...	...
2.16.	कृषि कल्याण उपकर	0028	710.64	2000.00	2000.00	...
जोड़-आय पर कर			364604.38	441255.27	441255.27	529000.00
<b>3. संपदा कर</b>						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.67	...	...	...
3.02.	धन पर कर	0032	184.47	...	...	...
3.03.	उपहार कर	0033	...	...	...	...
जोड़-संपदा कर			185.14	...	...	...
<b>4. सीमा शुल्क</b>						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	64583.84	72150.00	80750.00	96300.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	111982.61	122000.00	32729.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	39944.04	35250.00	8500.00	...
4.01.04.	मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...	...

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	...	8.00	...
4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...
4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	23.80	660.00	750.00
4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	3922.02	2000.00	...
4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1879.59	1000.00	...
4.01.10.	सामाजिक कल्याण अधिभार	0037	...	1300.00	8000.00
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>		<i>222335.90</i>	<i>238200.00</i>	<i>126947.00</i>	<i>105050.00</i>
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-835.50	245.00	288.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	177.21	100.00	112.00
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	1763.36	7950.00	7050.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	38.12	...	...
4.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	679.57	...	...
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	1129.02	...	...
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	82.66	...	...
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>		<i>225370.34</i>	<i>245000.00</i>	<i>135242.00</i>	<i>112500.00</i>
<b>5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क</b>					
5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	231106.98	126450.00	94000.00
5.02.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18827.83	22000.00	...
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	53571.70	59250.00	...
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	6426.20	3000.00	1750.00
5.05.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18780.13	32000.00	36000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	3347.75	1000.00	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर				
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	45.41	12.00	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	21.31	6.00	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	12618.31	14000.00	14850.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	136.21	33.00	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	2881.61	779.00	...
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	408.55	96.00	...
5.07.07.	अन्य	0038	1523.78	60.00	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	26117.25	12100.00	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	3917.65	905.00	...
5.07.10.	मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क तथा अवसंरचना उपकर)	0038	...	4350.00	113000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>		<i>47670.08</i>	<i>51550.00</i>	<i>32341.00</i>	<i>127850.00</i>
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर				
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	640.04	400.00	...
5.08.02.	नमक	0038	0.91	...	...
5.08.03.	रबड़	0038	102.30	92.00	...
5.08.04.	अभ्रक	0038	...	...	...
5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज और क्रोम अयस्क	0038	7.52	...	...
5.08.06.	चूना पत्थर और डोलोमाइट	0038	10.82	...	...
5.08.07.	सिने कर्मी	0038	0.86	...	...
5.08.08.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	215.84	146.27	...

		(₹ करोड़)				
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
5.08.08.01.	व्यय घटाकर निवल प्राप्तियां	0045	-145.64	-250.00	-146.27	...
	<i>निवल</i>		70.20	...	...	...
5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	1187.24	980.00	450.00	...
5.08.10.	बीडी निधि	0038	...	190.00	12.00	...
5.08.11.	अन्य खातों के अंतर्गत उपकर	0045	3.19	...	...	...
5.08.12.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0038	2.31	...	...	...
	<i>निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>		2025.39	1900.00	954.00	...
	<i>निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क</i>		381756.06	406900.00	276995.00	259600.00
<b>6.</b>	<b>सेवा कर</b>					
6.01.	संग्रहण	0044	234239.86	252900.00	72669.50	...
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	75.16	...	25.00	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	40.33	...	12.50	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	12474.87	13300.00	4100.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	7668.52	8800.00	2700.00	...
	<i>जोड़-सेवा कर</i>		254498.74	275000.00	79507.00	...
<b>7.</b>	<b>वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</b>					
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
7.02.	अन्य कर	0045	338.35	...	...	...
	<i>जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</i>		338.35	...	...	...
<b>8.</b>	<b>वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)</b>					
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	...	...	221400.00	603900.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	...	...	161900.00	50000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	...	...	61331.00	90000.00
	<i>जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)</i>		...	...	444631.00	743900.00
<b>9.</b>	<b>संघ राज्य क्षेत्रों के कर</b>					
9.01.	भू राजस्व	0710	3.54	8.72	7.52	8.75
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	183.17	189.73	199.73	225.80
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	713.57	884.75	877.20	1000.00
9.04.	बिक्री कर	0710	2865.16	3300.00	1945.00	1165.00
9.05.	वाहनों पर कर	0710	209.78	213.30	226.00	256.00
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	8.99	10.75	10.00	12.00
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	30.14	25.00	31.00	35.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	131.18	47.21	23.70	9.01
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर	0007	...	...	1424.00	2530.00
	<i>जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर</i>		4145.53	4679.46	4744.15	5241.56
	<b>जोड़-कर राजस्व</b>		<b>1715822.40</b>	<b>1911579.46</b>	<b>1946119.15</b>	<b>2271241.56</b>
<b>10.</b>	<b>घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</b>					
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-23.80	-2500.00	-660.00	-750.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-6426.20	-7500.00	-3000.00	-1750.00
	<i>निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</i>		-6450.00	-10000.00	-3660.00	-2500.00
<b>11.</b>	<b>घटाइए-राज्यों का हिस्सा</b>	0710	-608000.31	-674565.45	-673005.29	-768412.57
<b>12.</b>	<b>घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन</b>	0710	...	...	...	-19679.95
	<b>कुल जोड़</b>		<b>1101372.09</b>	<b>1227014.01</b>	<b>1269453.86</b>	<b>1480649.04</b>

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2018-19 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2017-18 के बीच अन्तर तथा बाद वाले और 2018-19 के बजट अनुमान के बीच अंतर

की व्याख्यात्मक संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी गई हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकरण को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

**1. निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2017-18 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 538744.73 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 563744.73 करोड़ रुपए है। 2018-19 का बजट अनुमान 621000.00 करोड़ रुपए है।

**2. आय पर कर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत व्यक्तियों, फर्मों आदि कंपनियों को छोड़कर, पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्य रूप से प्रतिभूति संव्यवहार कर, जो स्टॉक एक्सचेंज पर की गई सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंडों की यूनितों पर लगाया जाता है, भी शामिल है। वर्ष 2017-18 के लिए आय पर कर का अनुमान 441255.27 करोड़ रुपए के विपरीत 441255.27 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान 529000.00 करोड़ रुपये है।

**3. संपदा कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2016-17 में संपदा कर का वास्तविक संग्रहण 185.14 करोड़ रुपए था। यह कर 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

**4. सीमाशुल्क :** वर्ष 2017-18 में सीमाशुल्क के संशोधित अनुमान 245000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 135242 करोड़ रुपए थे। 2018-19 के बजट अनुमान 112500 करोड़ रुपए हैं।

**4.01.01. बुनियादी शुल्क :** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित सामान पर सीमाशुल्क पर बुनियादी शुल्क प्रभावी है।

**4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी):** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। इस शुल्क को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

**4.01.03. विशेष सीवी शुल्क :** सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उग्रहणीय है। इस शुल्क को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

**4.01.04. मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उग्रहणीय होता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इस शुल्क को सड़क तथा अवसंरचना शुल्क से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

**4.01.05. हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इस शुल्क को सड़क तथा अवसंरचना शुल्क से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

**4.01.06. मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**4.01.07. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ निर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम 2003 द्वारा कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 1 जुलाई 2017 से जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

**4.01.08. शिक्षा उपकरण :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकरण उग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डमिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकरण से मुक्त रखा गया है।

**4.01.09. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण उग्रहणीय है।

**4.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

**बकाया संग्रहण :** वर्ष 2016-17 में सीमाशुल्क के बकाया का वास्तविक संग्रहण 1284 करोड़ रुपए था। सं.अ. 2017-18 और ब.अ. 2018-19 में सीमाशुल्क के बकाया का संग्रहण क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए है।



**5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क :** वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संशोधित अनुमान 406900 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 276996 करोड़ रुपए है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान 259600 करोड़ रुपए है।

**5.01. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिंट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर:** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवेट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सेनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत पर तर्कसंगत किया गया था। इस शुल्क की 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

**5.02. मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे सड़क तथा अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

**5.03. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे सड़क तथा अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

**5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क:** वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

**5.05. मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**5.06. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार:** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। वीडि पर यह नहीं लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

**5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उप कर (पूर्ववर्ती – स्वच्छ ऊर्जा उपकर) :** इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में उत्पादित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसे 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

**बकाया संग्रहण :** 2016-17 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों का वास्तविक संग्रहण 2079 करोड़ रुपए रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2017-18 और बजट अनुमान 2018-19 में क्रमशः 2500 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए का है।

**6. सेवा कर :** 2017-18 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 79507 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 275000 करोड़ रुपए है। सेवा कर को 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

**8. माल और सेवा कर :** माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ माल एवं सेवा कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर कर है, मानव उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति को इससे बाहर रखा गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और समेकित सीएसटी (आईजीएमटी) क्रमशः 221400 करोड़ रुपए और 161900 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी के लिए बजट अनुमान और आईजीएमटी क्रमशः 603900 करोड़ रुपए और 50000 करोड़ रुपए है। क्रेडिट के पारस्परिक उपयोग के फलस्वरूप आईजीएसटी राजस्व केन्द्र और राज्यों के बीच समविभाजन और निधि निपटान के अध्यक्षीन है।

कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
<b>ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>					
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>					
1.01. राज्य	0049	7569.12	7067.67	6953.23	6100.06
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	39.24	364.40	367.40	367.40
1.03. रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01. लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049	...	...	...	...
1.03.02. सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049	...	...	...	...
1.03.03. रेल यात्री किराए पर कर के एवज में रेलवे द्वारा अदायगी	0049	...	...	...	...
जोड़-रेलवे द्वारा देय ब्याज		...	...	...	...
1.04. अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	35853.16	27873.66	36583.06	25049.59
1.04.01. घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-27232.54	-16285.00	-30353.03	-16355.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>		<i>16228.98</i>	<i>19020.73</i>	<i>13550.66</i>	<i>15162.05</i>
<b>2. लाभांश और लाभ</b>					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	51851.94	67529.24	54810.00	52494.71
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	71164.61	74901.25	51623.24	54817.25
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>		<i>123016.55</i>	<i>142430.49</i>	<i>106433.24</i>	<i>107311.96</i>
<b>जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>		<b>139245.53</b>	<b>161451.22</b>	<b>119983.90</b>	<b>122474.01</b>
<b>राजकोषीय सेवाएं</b>					
<b>3. राजकोषीय सेवाएं</b>					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	680.32	600.00	600.00	600.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	84.53	60.45	100.25	121.20
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>		<i>764.85</i>	<i>660.45</i>	<i>700.25</i>	<i>721.20</i>
<b>जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं</b>		<b>764.85</b>	<b>660.45</b>	<b>700.25</b>	<b>721.20</b>
<b>4. सामान्य सेवाएं</b>					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	104.04	138.00	94.00	136.50
4.01.02. पुलिस	0055	6254.26	6611.74	7511.40	7611.60
4.01.03. पूर्ति और निपटान					
4.01.03.01. पूर्ति और निपटान	0057	228.72	149.50	...	...
4.01.03.02. घटाएं-प्राप्तियां	0057	...	...	...	...
<i>निवल</i>		<i>228.72</i>	<i>149.50</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	37.88	32.17	32.17	38.80
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	198.74	172.62	172.62	76.65
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5521.13	9070.81	5783.21	7432.31
<i>निवल-प्रशासनिक सेवाएं</i>		<i>12344.77</i>	<i>16174.84</i>	<i>13593.40</i>	<i>15295.86</i>
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1703.79	3982.78	2828.22	2824.53
4.02.02. घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>		<i>1703.79</i>	<i>2982.78</i>	<i>1828.22</i>	<i>1824.53</i>
4.03. विविध सामान्य सेवाएं	0075	18988.20	18788.98	18961.22	19211.20
4.03.01. घटाइए वाणिज्यिक विभाग -कैटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-16943.21	-17737.50	-17125.00	-17625.00

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
4.03.02.	घटाइए प्राप्ति	0075	-2.53	...	...
	<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		<i>2042.46</i>	<i>1051.48</i>	<i>1836.22</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं				
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	2494.95	2849.09	2849.09
4.04.01.01.	घटाएं-प्राप्ति	0076	-2494.95	-2849.09	-2849.09
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	332.49	400.00	650.00
4.04.02.01.	घटाएं-प्राप्ति	0077	-332.49	-400.00	-650.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	2371.72	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाएं-प्राप्ति	0078	-2371.72	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	2062.95	1728.28	1848.43
4.04.04.01.	घटाएं-प्राप्ति	0079	-2062.95	-1728.28	-1848.43
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	353.16	150.00	150.00
4.04.05.01.	घटाएं-प्राप्ति	0080	-353.16	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		<i>16091.02</i>	<i>20209.10</i>	<i>17257.84</i>
	<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>		<b>16091.02</b>	<b>20209.10</b>	<b>17257.84</b>
	<b>सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>				
<b>5.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>				
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	246.25	231.27	237.81
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	376.38	389.78	581.33
5.03.	परिवार कल्याण	0211	17.34	22.10	20.10
5.04.	आवास	0216	168.70	264.55	254.91
5.05.	शहरी विकास	0217	0.02	0.01	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	67.30	6186.72	41.58
5.07.	प्रसारण	0221	1710.30	987.54	1501.00
5.07.01.	घटाएं-प्राप्ति	0221	...	...	...
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	24.96	40.87	23.91
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	3427.74	1501.18	1000.57
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	5889.16	...	64.43
5.10.01.	घटाएं-प्राप्ति	0250	...	...	-64.43
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		<i>11928.15</i>	<i>9624.02</i>	<i>3661.22</i>
	<b>जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>		<b>11928.15</b>	<b>9624.02</b>	<b>3661.22</b>
	<b>आर्थिक सेवाएं</b>				
<b>6.</b>	<b>आर्थिक सेवाएं</b>				
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप				
6.01.01.	फसल कार्य	0401	407.03	230.01	913.05
6.01.01.01.	घटाएं-प्राप्ति	0401	...	...	...
	<i>निवल</i>		<i>407.03</i>	<i>230.01</i>	<i>913.05</i>
6.01.02.	पशु पालन	0403	18.81	16.79	18.25
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	418.98	550.45	440.32
6.01.03.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-दिल्ली दुग्ध स्कीम की प्राप्ति	0404	-418.66	-550.00	-440.00
	<i>निवल</i>		<i>0.32</i>	<i>0.45</i>	<i>0.32</i>
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	4.16	4.49	4.20

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	16.17	31.00	212.83	33.00
6.01.05.01.	घटाएं-प्राप्तियां	0406	-3.14	-6.00	-192.83	-8.00
	<i>निवल</i>		<i>13.03</i>	<i>25.00</i>	<i>20.00</i>	<i>25.00</i>
6.01.06.	बागान	0407	...	...	...	...
6.01.07.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	10.22	7.73	910.35	12.02
6.01.08.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	0.01	0.05	0.01	0.01
6.01.09.	सहकारिता	0425	...	...	...	...
6.01.10.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	18.88	17.44	19.50	20.50
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		<i>472.46</i>	<i>301.96</i>	<i>1885.68</i>	<i>505.58</i>
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	19.00	23.50	32.00	40.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	1.09	1.00	1.10	1.20
	<i>जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</i>		<i>20.09</i>	<i>24.50</i>	<i>33.10</i>	<i>41.20</i>
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	5419.18	8808.10	5875.02	5893.78
6.03.01.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-वदरपुर ताप विद्युत स्टेशन की प्राप्तियां	0801	-104.26	...	...	...
6.03.01.02.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-ईंधन सूची	0801	-1522.12	-2391.75	-2140.77	-2158.83
	<i>निवल</i>		<i>3792.80</i>	<i>6416.35</i>	<i>3734.25</i>	<i>3734.95</i>
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10796.93	15820.21	15735.71	9877.24
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	432.73	3536.95	3536.95	...
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	...	0.06	0.05	0.06
	<i>निवल-ऊर्जा</i>		<i>15022.46</i>	<i>25773.57</i>	<i>23006.96</i>	<i>13612.25</i>
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	28.10	22.02	35.95	37.26
6.04.02.	उद्योग	0852	3046.12	2477.35	7501.67	2615.45
6.04.02.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-ईंधन निर्माण सुविधाओं की प्राप्तियां	0852	-1269.50	-2004.83	-7301.98	-2417.80
6.04.02.03.	घटाएं-इस क्षेत्र की अन्य प्राप्तियां	0852	-2601.42	-255.00	...	...
	<i>निवल</i>		<i>-824.80</i>	<i>217.52</i>	<i>199.69</i>	<i>197.65</i>
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	16.12	30.00	23.36	24.59
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	219.19	262.79	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-अफीम और क्षारोद फैक्टरी की प्राप्तियां	0875	-219.19	-262.79	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-उद्योग और खनिज</i>		<i>-780.58</i>	<i>269.54</i>	<i>259.00</i>	<i>259.50</i>
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	364.64	282.60	325.30	325.43
6.05.01.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-दीप स्तंभ और लाइटशिप की प्राप्तियां	1051	-364.04	-280.00	-320.00	-320.00
	<i>निवल</i>		<i>0.60</i>	<i>2.60</i>	<i>5.30</i>	<i>5.43</i>
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	140.35	121.32	121.82	122.82
6.05.03.	नागर विमानन	1053	38.66	36.50	100.00	105.00
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	7323.72	11500.00	9269.00	10291.00
6.05.05.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
6.05.06.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	12.48	...	...	...
6.05.07.	अन्य परिवहन सेवाएं	1075	...	...	...	...
6.05.08.	डाक प्राप्तियां	1201	11511.00	15210.03	15418.16	16956.11
6.05.08.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-डाक की प्राप्तियां	1201	-11511.00	-15210.03	-15418.16	-16956.11
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-परिवहन</i>		<i>7515.81</i>	<i>11660.42</i>	<i>9496.12</i>	<i>10524.25</i>

		(₹ करोड़)				
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019		
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	70241.14	44342.20	30736.47	48661.42
6.06.01.02.	घटाएं- प्राप्ति	1275	...	...	...	...
	<i>निवल</i>		<i>70241.14</i>	<i>44342.20</i>	<i>30736.47</i>	<i>48661.42</i>
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	103.76	86.18	97.20	91.69
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1052.69	817.26	1111.42	1099.08
	<i>जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण</i>		<i>1156.45</i>	<i>903.44</i>	<i>1208.62</i>	<i>1190.77</i>
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	242.79	229.83	157.58	157.58
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	7800.43	8715.15	22019.44	14619.91
6.08.02.01.	घटाएं- प्राप्ति	1475	...	...	...	...
	<i>जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>7800.43</i>	<i>8715.15</i>	<i>22019.44</i>	<i>14619.91</i>
6.08.03.	पर्यटन	1452	6.63	14.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.02	0.03	0.04
	<i>जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>8049.89</i>	<i>8959.00</i>	<i>22187.05</i>	<i>14787.53</i>
	<i>निवल-आर्थिक सेवाएं</i>		<i>101697.72</i>	<i>92234.63</i>	<i>88813.00</i>	<i>89582.50</i>
<b>7.</b>	<b>रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व</b>					
7.01.	भारतीय रेलवे-विविध प्राप्ति	1001	90.28	500.00	200.00	250.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-90.28	-500.00	-200.00	-250.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	161582.66	188998.37	185293.62	198702.42
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-161582.66	-188998.37	-185293.62	-198702.42
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	3709.54	...	1931.38	2137.58
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-3709.54	...	-1931.38	-2137.58
	<i>निवल-रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>		<b>101697.72</b>	<b>92234.63</b>	<b>88813.00</b>	<b>89582.50</b>
	<b>सहायता-अनुदान तथा अंशदान</b>					
<b>8.</b>	<b>सहायता अनुदान और अंशदान</b>					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	...	...	9.00	16.00
8.01.01.02.	अंतरराष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	...	3.00	3.00
8.01.01.03.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	...	60.00	90.00	93.00
8.01.01.04.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ	1605	...	...	...	...
	<i>जोड़-बहुपक्षीय</i>		<i>...</i>	<i>60.00</i>	<i>102.00</i>	<i>112.00</i>
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	जर्मनी	1605	...	15.00	33.00	22.00
8.01.02.02.	जापान	1605	...	40.00	17.00	42.00
8.01.02.03.	इंग्लैंड (डीएमआईडी)	1605	...	...	...	...
8.01.02.04.	ईईसी	1605	...	...	...	...
8.01.02.05.	यूएसएआईडी	1605	...	...	...	...
	<i>जोड़-द्विपक्षीय</i>		<i>...</i>	<i>55.00</i>	<i>50.00</i>	<i>64.00</i>
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1299.59	1808.00	1350.00	1200.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	...	25.00	11.00	11.00
8.01.03.03.	यूएनपीएफ	1605	...	...	...	...
	<i>जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय</i>		<i>1299.59</i>	<i>1833.00</i>	<i>1361.00</i>	<i>1211.00</i>
	<i>जोड़-विदेश अनुदान सहायता</i>		<i>1299.59</i>	<i>1948.00</i>	<i>1513.00</i>	<i>1387.00</i>

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	...	1112.00	1280.00
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		1299.59	3060.00	2667.00
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		1299.59	3060.00	2667.00
	संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व				
9.	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	1710	1804.03	1517.65	2062.10
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1804.03	1517.65	2062.10
	कुल जोड़		272830.89	288757.07	245088.75

उपर्युक्त विवरण में 2018-2019 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्ति।

**1.01 राज्य : राज्यों को ऋण पर ब्याज :** ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2017-18 में 6953.23 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2018-19 में 6100.06 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

**1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) को ऋण पर ब्याज :** ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2017-18 में 367.40 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2018-19 में 367.40 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

**1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज :** 2016-17 में रेलवे द्वारा देय लाभांश रेलवे अभिसमय समिति द्वारा "2016-17 के दौरान रेलवे द्वारा देय लाभांश दर" विषय पर अपनी छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर माफ कर दी गई है। बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में रेल बजट के विलय के परिणामस्वरूप भारत पूंजी समाप्त हो जाएगी। तदनुसार रेलवे 2017-18 से सामान्य राजस्व के लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।

**1.04. अन्य ब्याज प्राप्ति :** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। उस आकलन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज भी शामिल हैं।

**2. लाभांश तथा लाभ :** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

**3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं :** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

**4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

**4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।

**4.01.03. पूर्ति तथा निपटान :** "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की विक्री आय से सम्बन्धित हैं।

**4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की विक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

**4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

**4.03.01. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति :** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

**5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति :** "शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सीरम तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा तीन चरणों में की जाने वाली फ्रिक्वेंसी मॉड्युलेशन (एफएम) - चरण-III की प्राप्तियां और डीटीएच आपरेटरों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क शामिल हैं।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।
- 6.03.02. पेट्रोलियम :** (क) रॉयल्टी : पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए देय है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 2003 द्वारा विनियमित की जाती है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फ़िल्ड अथवा वेल हेड पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य का 20% से अधिक नहीं होगी।
- (ख) **लाभ पेट्रोलियम :** लाभ पेट्रोलियम संविदा के अनुसार उत्पादन की स्वीकार्य लागत को घटाकर किसी भी आयल फ़िल्ड से उत्पादित पेट्रोलियम का मूल्य है। संविदाकर्ता तथा सरकार संविदागत क्षेत्र से लाभ पेट्रोलियम का साझा करती हैं जो संबंधित करार/संविदा के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नामित फ़िल्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है तथा वित्त वर्ष की समाप्त पर अंतिम समायोजन किया जाता है।
- (ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में तेल तथा गैस की विशिष्ट खोज करने को अधिकार देने वाली सरकार से विचार करके किया जाने वाला भुगतान है। लाइसेंस शुल्क आमतौर पर लाइसेंस के क्षेत्र तथा अवधि से संबंधित होता है तथा इसका भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। (ii) अपतटीय फ़िल्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फ़िल्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है।
- (घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचालक जिस दिन से उत्पादन शुरू करता है उसी दिन से सरकार के साथ राजस्व साझा करता है। उत्पादन स्तर भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी है और इसमें रूटीन खोज में नौकरशाहों तथा विकासात्मक क्रियाकलाप में जुटी कंपनियों के न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- 6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग:** ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।



**6.04.02. उद्योग:** उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

**6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग:** अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

**6.05.02. पोत परिवहन:** पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

**6.05.04. सड़क और पुल:** सड़क और पुल शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

**6.06.01. अन्य संचार सेवाएं:** इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार से प्राप्तियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग उन विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क प्राप्त करता है जिन्हें इसने लाइसेंस दिया है। अन्य संचार सेवाओं में मुख्य रूप से दूरसंचार आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार से हुई प्राप्तियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग उन विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क प्राप्त करता है जिन्हें इसने लाइसेंस दिया है। लाइसेंस शुल्क की वसूली अनुमेय कटौतियों जैसेकि पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार, पात्र/अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अंतरित किए गए रोमिंग प्रभार तथा कंपनी के लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्ज कुल राजस्व प्राप्त से राज्य/केन्द्र सरकार को अंतरित बिक्री/सेवा कर जैसी कटौतियों के बाद समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत की दर पर की जाती है। कैप्टिव प्रयोग तथा कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंस प्रदत्त दूरसंचार नेटवर्क हेतु लाइसेंस शुल्क की वसूली स्थिर दरों पर की जाती है जो टर्मिनलों, चैनलों की संख्या और/या नेटवर्क पूंजी लागत पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, नए आपरेटरों से एकबारगी प्रवेश शुल्क की भी वसूली की जाती है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणियों में शामिल हैं: (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) एकीकृत अभिगमसेवा (यूएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री। लाइसेंस शुल्क की वसूली दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर किया जाता है जिसमें सर्वभौमिक अभिगम लेबी (यूएल) का एक संघटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क की वसूली लाइसेंस शुल्क की दर, प्रशुल्क तथा देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। विभाग वायरलेस उपकरणों को प्राप्त करने तथा विभिन्न कंपनियों से रेडियो स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु रायल्टी की राशि भी प्राप्त करता है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं से वसूली गई राशि आमतौर पर स्पेक्ट्रम प्रभार के नाम से जानी जाती है तथा इसका परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में उनके नेटवर्क के लिए सौंपे गए स्पेक्ट्रम के आधार पर (वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंस प्राप्त) या फिर निर्धारित किए गए फार्मुला के आधार पर एक समान दरों पर किया जाता है। स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार की वसूली विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वी सैट आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु की जाती है तथा इसका परिकलन उनके नेटवर्क के लिए उन्हें सौंपे गए स्पेक्ट्रम के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।

**6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

**6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान:** अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थ्रीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

**6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं:** "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मुल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

**6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा वीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम वीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

**7. रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व :** रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

**8. सहायता अनुदान और अंशदान :** ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा भाग ख के विवरण-5 में दिया गया है।

**9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व :** संघ राज्य क्षेत्रों (बिना विधान मण्डल वाले) की प्राप्तियों में मुख्यतः विद्युत, सड़क परिवहन, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, वानिकी तथा वन्यजीव पोत तथा दीपस्तंभ, पोत परिवहन, नागर विमानन आदि शामिल हैं।

**कर-भिन्न राजस्व का बकाया :** राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 6 में देखा जा सकता है।



## पूँजी प्राप्तियाँ

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
<b>ऋण भिन्न प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ</b>					
1.01. राज्य सरकारें					
1.01.01. सकल प्राप्तियाँ	7601	12522.85	9183.33	8866.95	9166.74
1.01.02. वसूलियाँ	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>12522.85</i>	<i>9083.33</i>	<i>8766.95</i>	<i>9066.74</i>
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	54.86	432.69	432.69	432.69
1.03. विदेशी सरकारें	7605	396.01	365.55	354.54	325.29
1.04. अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01. सकल प्राप्तियाँ	9001	27997.38	53325.69	59344.15	53649.36
1.04.02. वसूलियाँ	9001	-23341.54	-51275.01	-51425.00	-51275.00
<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>4655.84</i>	<i>2050.68</i>	<i>7919.15</i>	<i>2374.36</i>
<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ</i>		<i>17629.56</i>	<i>11932.25</i>	<i>17473.33</i>	<i>12199.08</i>
<b>2. विविध पूँजी प्राप्तियाँ</b>					
2.01. विनिवेश प्राप्तियाँ	4000	35469.15	46500.00	100000.00	80000.00
2.02. कार्यनीतिक विनिवेश	4000	12273.40	15000.00	...	...
2.03. अन्य (बीमा कंपनियों का सूचीयन)	4000	...	11000.00	...	...
2.04. बोनस शेयर निर्गम	4000	...	...	3.40	...
2.05. व्यय को घटाकर प्राप्तियाँ	4000	...	...	-3.40	...
<i>जोड़-विविध पूँजी प्राप्तियाँ</i>		<i>47742.55</i>	<i>72500.00</i>	<i>100000.00</i>	<i>80000.00</i>
<b>जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियाँ</b>		<b>65372.11</b>	<b>84432.25</b>	<b>117473.33</b>	<b>92199.08</b>
<b>ऋण प्राप्तियाँ</b>					
<b>3. उधार</b>					
3.01. बाजार ऋण					
3.01.01. सकल उधार	6001	583045.00	580000.00	599000.00	605539.36
3.01.02. वापसी अदायगी	6001	-174846.22	-156773.60	-139590.28	-143477.87
<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>408198.78</i>	<i>423226.40</i>	<i>459409.72</i>	<i>462061.49</i>
3.02. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम					
3.02.01. प्रतिभूतियों का निर्गम	6001	...	...	80000.00	65000.00
3.02.02. शुद्ध व्यय	6001	...	...	-80000.00	-65000.00
<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03. प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.03.01. सकल उधार	6001	41625.11	25000.00	42984.00	28059.00
3.03.02. वापसी अदायगी	6001	-40510.16	-25000.00	-42984.00	-28059.00
<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		<i>1114.95</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.04. वापसी खरीद					
3.04.01. सकल उधार	6001	...	...	...	...
3.04.02. वापसी अदायगी	6001	-59657.16	-75000.00	-57016.00	-71941.00
<i>निवल-वापसी खरीद</i>		<i>-59657.16</i>	<i>-75000.00</i>	<i>-57016.00</i>	<i>-71941.00</i>
3.05. अल्पकालिक उधार					
3.05.01. 14 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.05.01.01. सकल उधार	6001	3216118.41	3303003.00	3670528.00	4027581.00
3.05.01.02. वापसी अदायगी	6001	-3180675.97	-3303003.00	-3700528.00	-4027581.00
<i>निवल</i>		<i>35442.44</i>	<i>...</i>	<i>-30000.00</i>	<i>...</i>
3.05.02. 91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.05.02.01. सकल उधार	6001	664567.49	668211.20	849764.40	857721.45
3.05.02.02. वापसी अदायगी	6001	-690582.15	-666209.20	-742174.10	-857721.45
<i>निवल</i>		<i>-26014.66</i>	<i>2002.00</i>	<i>107590.30</i>	<i>...</i>

				(₹ करोड़)	
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
3.05.03.	182 दिवसीय राजकोपीय हंडियां				
3.05.03.01.	सकल उधार	6001	174035.07	165912.12	176397.41
3.05.03.02.	वापसी अदायगी	6001	-166405.74	-165912.12	-183981.05
	<i>निवल</i>		<i>7629.33</i>	<i>...</i>	<i>-7583.64</i>
3.05.04.	364 दिवसीय राजकोपीय हंडियां				
3.05.04.01.	सकल उधार	6001	142525.75	148523.76	149989.00
3.05.04.02.	वापसी अदायगी	6001	-154033.20	-148523.76	-142525.76
	<i>निवल</i>		<i>-11507.45</i>	<i>...</i>	<i>7463.24</i>
3.05.05.	नकद प्रबंधन बिल				
3.05.05.01.	सकल उधार	6001	...	100000.00	150000.00
3.05.05.02.	वापसी अदायगी	6001	...	-100000.00	-150000.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.05.06.	अर्थोपाय अग्रिम				
3.05.06.01.	सकल उधार	6001	163489.00	300000.00	480042.00
3.05.06.02.	वापसी अदायगी	6001	-163489.00	-300000.00	-480042.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		<i>5549.66</i>	<i>2002.00</i>	<i>77469.90</i>
	<i>निवल-उधार</i>		<i>355206.23</i>	<i>350228.40</i>	<i>479863.62</i>
<b>4.</b>	<b>लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</b>				
4.01.	प्राप्तियां	6001	72439.14	108661.16	108661.00
4.02.	वापसी अदायगी	6001	-5004.00	-8504.00	-6033.00
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		<i>67435.14</i>	<i>100157.16</i>	<i>102628.00</i>
<b>5.</b>	<b>राज्य भविष्य निधियां</b>				
5.01.	प्राप्तियां	8009	57072.95	58000.00	61000.00
5.02.	संवितरण	8009	-39327.53	-44000.00	-46000.00
	<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>		<i>17745.42</i>	<i>14000.00</i>	<i>15000.00</i>
<b>6.</b>	<b>अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</b>				
6.01.	राहत बांड				
6.01.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...
6.01.02.	संवितरण	6001	-1.51	-46.76	-53.60
	<i>निवल-राहत बांड</i>		<i>-1.51</i>	<i>-46.76</i>	<i>-53.60</i>
6.02.	बचत बांड				
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	14624.50	8557.42	23499.79
6.02.02.	संवितरण	6001	-5412.26	-5586.74	-809.37
	<i>निवल-बचत बांड</i>		<i>9212.24</i>	<i>2970.68</i>	<i>22690.42</i>
6.03.	अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रीकरण आदि)				
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	3451.21	5000.00	5000.00
6.03.02.	संवितरण	6001	...	...	...
	<i>निवल-अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रीकरण आदि)</i>		<i>3451.21</i>	<i>5000.00</i>	<i>5000.00</i>
6.04.	अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)				
6.04.01.	प्राप्तियां	9002	1216876.39	1171169.69	1268272.78
6.04.02.	संवितरण	9002	-1143240.43	-1125116.34	-1254123.01
6.04.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002	...	...	...
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>		<i>73635.96</i>	<i>46053.35</i>	<i>14149.77</i>
6.05.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं				
6.05.01.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष				
6.05.01.01.	प्राप्तियां	6001	1997.10	0.01	0.01
6.05.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-14.00	-100.00	-7121.74
6.05.01.03.	घटाइए शुद्ध प्राप्तियां	6001	-2181.02	-570.84	-543.93
	<i>निवल</i>		<i>-197.92</i>	<i>-670.83</i>	<i>-7665.66</i>

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
6.05.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ				
6.05.02.01.	प्राप्तियां	6001 454.13	500.00	408.34	408.34
6.05.02.02.	वापसी अदायगी	6001 -367.27	-177.12	-165.52	-357.36
	<i>निवल</i>	<i>86.86</i>	<i>322.88</i>	<i>242.82</i>	<i>50.98</i>
6.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि				
6.05.03.01.	प्राप्तियां	6001 50.83	68.03	64.51	66.03
6.05.03.02.	वापसी अदायगी	6001 -86.42	-156.60	-146.68	-152.82
	<i>निवल</i>	<i>-35.59</i>	<i>-88.57</i>	<i>-82.17</i>	<i>-86.79</i>
6.05.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि				
6.05.04.01.	प्राप्तियां	6001 3.86	2.80	71.07	37.24
6.05.04.02.	वापसी अदायगी	6001 -24.75	-30.86	-33.83	-30.58
	<i>निवल</i>	<i>-20.89</i>	<i>-28.06</i>	<i>37.24</i>	<i>6.66</i>
	<i>निवल-अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं</i>	<i>-167.54</i>	<i>-464.58</i>	<i>-7467.77</i>	<i>-640.76</i>
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</i>	<i>86130.36</i>	<i>53512.69</i>	<i>34318.82</i>	<i>84678.55</i>
<b>7.</b>	<b>विदेशी ऋण</b>				
7.01.	बहुपक्षीय				
7.01.01.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक				
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002 6385.36	7360.00	6262.36	6601.85
7.01.01.02.	वापसी अदायगी	6002 -5553.30	-6862.61	-5559.51	-5887.77
	<i>निवल</i>	<i>832.06</i>	<i>497.39</i>	<i>702.85</i>	<i>714.08</i>
7.01.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ				
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002 9898.42	10956.00	8530.68	7406.69
7.01.02.02.	वापसी अदायगी	6002 -10565.14	-11966.85	-11168.36	-12083.79
	<i>निवल</i>	<i>-666.72</i>	<i>-1010.85</i>	<i>-2637.68</i>	<i>-4677.10</i>
7.01.03.	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि				
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002 196.21	300.00	333.25	471.90
7.01.03.02.	वापसी अदायगी	6002 -92.25	-103.90	-91.58	-95.83
	<i>निवल</i>	<i>103.96</i>	<i>196.10</i>	<i>241.67</i>	<i>376.07</i>
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक				
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002 9201.40	10562.00	9501.45	9199.81
7.01.04.02.	वापसी अदायगी	6002 -3266.40	-3942.26	-3614.97	-4316.67
	<i>निवल</i>	<i>5935.00</i>	<i>6619.74</i>	<i>5886.48</i>	<i>4883.14</i>
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)				
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002 ...	...	...	...
7.01.05.02.	वापसी अदायगी	6002 -8.13	-8.71	-8.25	-8.63
	<i>निवल</i>	<i>-8.13</i>	<i>-8.71</i>	<i>-8.25</i>	<i>-8.63</i>
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन				
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002 18.65	...	...	...
7.01.06.02.	वापसी अदायगी	6002 -12.12	-12.49	-11.83	-12.04
	<i>निवल</i>	<i>6.53</i>	<i>-12.49</i>	<i>-11.83</i>	<i>-12.04</i>
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक				
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002 ...	200.00	100.00	200.00
7.01.07.02.	वापसी अदायगी	6002 ...	...	...	...
	<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>200.00</i>	<i>100.00</i>	<i>200.00</i>
7.01.08.	एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)				
7.01.08.01.	प्राप्तियां	6002 ...	...	50.00	50.00
7.01.08.02.	वापसी अदायगी	6002 ...	...	...	...
	<i>जोड-एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>50.00</i>	<i>50.00</i>
	<i>निवल-बहुपक्षीय</i>	<i>6202.70</i>	<i>6481.18</i>	<i>4323.24</i>	<i>1525.52</i>

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	1082.22	652.00	1831.43	2317.01
7.02.01.02. वापसी अदायगी	6002	-1125.41	-969.21	-960.67	-1154.79
निवल		-43.19	-317.21	870.76	1162.22
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	762.16	660.00	966.67	751.75
7.02.02.02. वापसी अदायगी	6002	-113.85	-205.60	-172.01	-213.71
निवल		648.31	454.40	794.66	538.04
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	14060.65	12580.00	11942.95	10776.38
7.02.04.02. वापसी अदायगी	6002	-4514.71	-5260.77	-4585.35	-4766.47
निवल		9545.94	7319.23	7357.60	6009.91
7.02.05. स्विटजरलैंड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. वापसी अदायगी	6002	-1.95	-0.35	-0.35	-0.16
निवल		-1.95	-0.35	-0.35	-0.16
7.02.06. संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	243.79	...	...	...
7.02.06.02. वापसी अदायगी	6002	-180.07	-174.05	-165.00	-167.21
निवल		63.72	-174.05	-165.00	-167.21
7.02.07. रूसी परिसंघ					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	1618.07	2500.00	1947.00	2807.00
7.02.07.02. वापसी अदायगी	6002	-761.56	-774.20	-728.12	-747.93
निवल		856.51	1725.80	1218.88	2059.07
7.02.08. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01. प्राप्तियां	6002	730.71	300.00	750.00	300.00
7.02.08.02. वापसी अदायगी	6002	...	...	...	...
निवल		730.71	300.00	750.00	300.00
7.02.09. अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन					
7.02.09.01. प्राप्तियां	6002	-6.15	...	...	...
7.02.09.02. वापसी अदायगी	6002	...	...	...	...
निवल		-6.15	...	...	...
निवल-द्विपक्षीय		11793.90	9307.82	10826.55	9901.87
7.03. राज्य परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता को छोड़कर शुद्ध व्यय	6002	...	...	-12732.00	-14016.00
निवल-विदेशी ऋण		17996.60	15789.00	2417.79	-2588.61
<b>8. नकद शेष का आहरण</b>					
8.01. प्राप्तियां	9003	-3396.52	12844.20	-39379.00	...
8.02. संवितरण	9003	-5498.61	...	...	43066.00
निवल-नकद शेष का आहरण		-8895.13	12844.20	-39379.00	43066.00
<b>9. बाजार स्थिरीकरण योजना</b>					
9.01. प्राप्तियां	6001	1011518.50	100000.00	100000.00	...
9.02. वापसी अदायगी	6001	-1011518.50	-100000.00	-100000.00	...
निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना		...	...	...	...
<b>जोड़-ऋण प्राप्तियां</b>		<b>535618.62</b>	<b>546531.45</b>	<b>594849.23</b>	<b>624276.43</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>600990.73</b>	<b>630963.70</b>	<b>712322.56</b>	<b>716475.51</b>

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2017-18 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2017-18 और बजट अनुमान 2018-19 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

**1.01 राज्य सरकारें:** राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2017-18 में ₹8766.95 करोड़ तथा ब.अ. 2018-19 में ₹9066.74 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2017-18 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

**1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

**1.03 और 1.04 अन्य द्वारा अदायगी:** इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

**2. विविध पूंजी प्राप्तियां :** इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां सामारिक विनिवेश से प्राप्तियां और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। महत्वपूर्ण विनिवेश के आगम और ऐसे अन्य लेन देनों के कारण हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2018-19 में पूर्ण व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र और भारतीय रेलवे में निवेश में वित्तीय व्यय में किया जाएगा।

**3.01 बाजार ऋण :** भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी की है जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। 2018-19 में अदायगियों का ब्यौरा अनुबंध-13 विशेष प्रतिभूतियों पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रुपांतरण : में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

**3.03 वापसी खरीद :** यह निवेशकों से प्रतिभूतियों की खरीद है जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्टॉक में कमी आती है।

**3.04 अल्पावधिक उधार :** ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पृष्ट बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कैलेंडर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

**4 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां :** लघु बचत योजनाएं: इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सवधिक जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा का स्प्रेड वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

छोटी बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। 2017-18 के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 8.4 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों के उन्मोचन राशि को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनएसएसएफ संचालित न करने का विकल्प दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश अपने संबंधित प्रांतों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 100% और शेष तीन राज्य 50-1 ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहित निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसाकि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है।

निधि से होने वाले व्यय के अंतर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि को होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा उपयोग अनुबंध 6क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के 3 में दिया गया है।

**6.02 बचत बांड :** 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। तथापि, अन्य लिखतों की ब्याज दर के समान करने के दृष्टिगत जनवरी 2018 में 7.75 प्रतिशत बचत कर योग्य बांड स्कीम शुरू की गई थी। इस नए बांड की परिपक्वता अवधि सात वर्ष होगी। इस पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देय होगा और अर्धवार्षिक रूप से देय होगा। इन बांडों को संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। 60 वर्ष और इससे ऊपर के आयु समूह के व्यक्ति निवेशक को निर्गम की तारीख से न्यूनतम लाक-इन अवधि के पश्चात परिपक्वता पूर्व नकदीकरण की अनुमति होगी।

**6.03 अन्य (स्वर्ण बांड, स्वर्ण मौद्रिकीकरण आदि) :** इस श्रेणी में सार्वभौम स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मौद्रिकीकरण स्कीम जैसे साधन शामिल हैं, जिन्हें लोगों को वास्तविक सोने में निवेश करने से बचाने और सोने का आयात कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

**6.05 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं:** अनुमान (क) अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत के अभिदानों/अंशदानों के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों और (ख) विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) की प्रदर्शित करने वाले कतिपय संव्यवहारों से संबंधित हैं। प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा निम्नवत है:

**6.05.01 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष:** आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 14वें सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि-मूल्यह्रास के लिए मूल्य में किया जाता है। 2017 के दौरान, एसडीआर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्यवर्धन हुआ, इसके परिणामस्वरूप 7109.98 करोड़ भारतीय रुपए के समतुल्य की प्रतिभूतियों का नकदीकरण हुआ। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों में वृद्धि के अलावा आईएमएफ गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए और द्विपक्षीय

उधार करारों के लिए नई व्यवस्था अपनाता है। तदनुसार 14वें जीआरक्यू और एनएबी को उल्लेखनीय रूप से वापस लेने के बाद में प्रभाव पड़ने से एनएबी के प्रति भारतीय वचनबद्धता 4440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34एनएबी का सक्रीयान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 570.5 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किया।

**6.05.03 एशियाई विकास बैंक और निधि:** एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

**7. विदेशी ऋण:** बजट 2018-19 में ₹40882 करोड़ रुपये की सकल प्राप्ति और 29455 करोड़ रुपये की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप 15789 करोड़ रुपये का निवल विदेशी ऋण होगा।

**7.01 बहुपक्षीय :** ब.अ. 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹6481.18 करोड़ रहने का अनुमान है।

**7.01.03 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि:** अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आरएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 159.0 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। भारत ने आईएफएडी के 10वें पुनःपूर्ति चक्र 2016-18 के दौरान के लिए 37 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है।

आईएफएडी की शासी परिषद के 39वें सत्र के दौरान भारत सरकार निधि का सर्वसम्मति से 2 वर्षों के लिए शासी परिषद का अध्यक्ष चुना गया। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भी है।

वर्ष 1979 से आईएफएडी ने कृषि ग्रामीण विकास जनजाति विकास, महिला सशक्तीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में 29 परियोजनाओं को 1002.45 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से 20 परियोजनाएं पहले ही बंद हो गई हैं। वर्तमान में, 472.54 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से नौ परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने, 7 सितंबर, 2017 को आईएफएडी के साथ 75.5 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सूखा न्यूनीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार ने आईएफएडी के समक्ष निम्नलिखित परियोजनाएं रखी हैं :

(i) 40.25 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए पूर्वोत्तर (फोकस) (नागालैण्ड) में जलवायु प्रत्यास्थी अपलैण्ड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना।

(ii) 35.25 मिलियन अमरीकी डालर के लिए पूर्वोत्तर (फोकस) (मिजोरम) में जलवायु प्रत्यास्थी अपलैण्ड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना।

वर्ष 2013 से, आईएफएडी ऋण प्रति वर्ष 1.25 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार की नियत दर पर भारत को दिए जा रहे हैं और इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है। तथापि, 2013 में आईएफएडी द्वारा ऋण की गई मिश्रित अवधि शुरु करने से पहले हस्ताक्षरित परियोजनाओं के लिए आईएफएडी ऋण दस वर्ष की छूट अवधि सहित 40 वर्ष की अवधि में चुकाए जाने योग्य हैं और इनपर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होता है।

**7.02 द्विपक्षीय :** ब.अ. 2018-19 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्विटजरलैंड, यूएसए और रूसी संघ और ईआईबी से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹9901.87 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2009-2010	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	संशोधित 2017-18	बजट 2018-19
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>572811</b>	<b>788471</b>	<b>751437</b>	<b>879232</b>	<b>1014724</b>	<b>1101473</b>	<b>1195025</b>	<b>1374203</b>	<b>1505428</b>	<b>1725738</b>
<b>क. कर राजस्व</b> (राज्यों का निवल हिस्सा) (ब्यौरा अनुबंध 2 में)	456536	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1101372	1269454	1480649
<b>ख. कर-भिन्न राजस्व</b> (ब्यौरा अनुबंध 2 में)	116275	218602	121672	137355	198870	197858	251260	272831	235974	245089
<b>पूंजी प्राप्तियां</b>	<b>453063</b>	<b>402428</b>	<b>568918</b>	<b>582152</b>	<b>563894</b>	<b>484449</b>	<b>582579</b>	<b>609866</b>	<b>751702</b>	<b>673409</b>
<b>1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)</b>	<b>398424</b>	<b>325414</b>	<b>436211</b>	<b>467356</b>	<b>453550</b>	<b>445138</b>	<b>404050</b>	<b>349657</b>	<b>402394</b>	<b>390120</b>
<b>1.01 सकल बाजार उधार</b>										
क. सामान्य/नवीन	451000	437000	509796	558000	557000	592000	585000	582000	599000	605539
ख. स्विच आपरेशनों के जरिए सरकारी प्रतिभूति	...	...	...	...	31472	37374	38300	41625	42984	28059
ग. अन्य	...	...	...	...	6675	...	...	1045	...	...
<b>कुल</b>	<b>451000</b>	<b>437000</b>	<b>509796</b>	<b>558000</b>	<b>595147</b>	<b>629374</b>	<b>623300</b>	<b>624670</b>	<b>641984</b>	<b>633598</b>
<b>वापसी अदायगी</b>										
क. सामान्य/नवीन	52576	111586	73585	90644	95007	138925	144375	174846	139590	143478
ख. स्विचिंग	...	...	...	...	31000	39028	37349	40510	42984	28059
ग. वापस खरीद/अन्य	...	...	...	...	15590	6283	37526	59657	57016	71941
<b>1.02 घटाइए-वापसी अदायगी</b>	<b>52576</b>	<b>111586</b>	<b>73585</b>	<b>90644</b>	<b>141597</b>	<b>184236</b>	<b>219250</b>	<b>275013</b>	<b>239590</b>	<b>243478</b>
<b>2. विदेशी सहायता (निवल)</b>	<b>11038</b>	<b>23556</b>	<b>12448</b>	<b>7201</b>	<b>7292</b>	<b>12933</b>	<b>12748</b>	<b>17996</b>	<b>2418</b>	<b>-2589</b>
2.01 सकल विदेशी उधार	22177	35330	26034	23309	25416	33534	36054	44191	42216	40882
2.02 घटाइए-वापसी अदायगी	11139	11774	13586	16108	18124	20601	23306	26195	27066	29455
2.03 निवलित व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	-12732	-14016
<b>3. ऋणों की वसूली*</b>	<b>8613</b>	<b>12420</b>	<b>18850</b>	<b>15060</b>	<b>12497</b>	<b>13738</b>	<b>20835</b>	<b>17630</b>	<b>17473</b>	<b>12199</b>
<b>4. अल्प बचतें (निवल)</b>	<b>13256</b>	<b>11233</b>	<b>-10302</b>	<b>8626</b>	<b>12357</b>	<b>32226</b>	<b>52465</b>	<b>67435</b>	<b>102628</b>	<b>75000</b>
<b>5. अल्पाकालिक ऋण</b>	<b>-9769</b>	<b>333174</b>	<b>126866</b>	<b>53350</b>	<b>7729</b>	<b>9179</b>	<b>50693</b>	<b>5550</b>	<b>77470</b>	<b>17000</b>
<b>6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)</b>	<b>16056</b>	<b>12514</b>	<b>10804</b>	<b>10920</b>	<b>9753</b>	<b>11920</b>	<b>11858</b>	<b>17745</b>	<b>15000</b>	<b>17000</b>
<b>7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश</b>	<b>24581</b>	<b>22846</b>	<b>18088</b>	<b>25890</b>	<b>29368</b>	<b>37737</b>	<b>42132</b>	<b>47723</b>	<b>100000</b>	<b>80000</b>
<b>8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#</b>	<b>-9136</b>	<b>-338729</b>	<b>-44047</b>	<b>-6251</b>	<b>31348</b>	<b>-78422</b>	<b>-12202</b>	<b>86130</b>	<b>34319</b>	<b>84679</b>
<b>जोड़-प्राप्तियां</b>	<b>1025874</b>	<b>1190899</b>	<b>1320355</b>	<b>1461384</b>	<b>1578618</b>	<b>1585922</b>	<b>1777604</b>	<b>1984069</b>	<b>2257130</b>	<b>2399147</b>
<b>राजस्व खाते पर घाटा</b>	<b>338998</b>	<b>252252</b>	<b>394348</b>	<b>364282</b>	<b>357048</b>	<b>365519</b>	<b>342736</b>	<b>316381</b>	<b>438877</b>	<b>416034</b>
<b>प्राथमिक घाटा</b>	<b>205389</b>	<b>139569</b>	<b>242840</b>	<b>177020</b>	<b>128604</b>	<b>108281</b>	<b>91133</b>	<b>54904</b>	<b>64006</b>	<b>48481</b>
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	-1386	8430	-15990	-51012	-19171	77844	13170	-8895	-39479	43066
राजकोषीय घाटा	418482	373592	515990	490190	502858	510725	532792	535618	594849	624276
* अर्थापय अग्रिमों की वसूली घटाकर सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण # इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	...	...	10000	10000	10000	10000	20000	23000	50100	50100
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, एशियाई विकास बैंक आदि को जारी की गई	3654	9051	1613	4323	367	4619	52714	2181	544	512
(ख) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां	10306	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...	...	80000	65000
(घ) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	300	300	300	300	250	105	100	140	150	...



## अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2009-10	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	संशोधित 2017-18	अनुमानित 2018-19
<b>क. कर राजस्व</b>										
<b>सकल कर राजस्व</b>	<b>624528</b>	<b>793072</b>	<b>889177</b>	<b>1036235</b>	<b>1138733</b>	<b>1244886</b>	<b>1455648</b>	<b>1715822</b>	<b>1946119</b>	<b>2271242</b>
1. निगम कर	244725	298688	322816	356326	394678	428925	453228	484924	563745	621000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	122475	139069	164485	196512	237817	258326	287628	349436	439255	529000
3. ब्याज कर	9	4	3	6	8	6	5	5	...	...
4. आय और व्यय पर अन्य कर	-62	29	21	15	9	11	4	15163	2000	...
5. सीमा-शुल्क	83324	135813	149328	165346	172085	188016	210338	225370	135242	112500
6. संघ उत्पाद शुल्क	102991	137701	144901	175845	169455	188128	288073	381756	276995	259600
7. सेवा कर	58422	71016	97509	132601	154778	167969	211414	254499	79507	...
8. सम्पदा शुल्क	...	...	...	1	...	...	1	1	...	...
9. धन कर	505	687	787	844	1007	1086	1079	184	...	...
10. उपहार कर	1	...	1	1	1	...	...	...	...	...
11. माल एवं सेवा कर	...	...	...	...	...	...	...	...	444631	743900
12. अन्य कर और शुल्क	10529	8083	6541	5644	5765	9215	...	338	...	...
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1614	1982	2785	3094	3130	3204	3878	4146	4744	5242
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	164832	219303	255414	291547	318230	337808	506193	608000	673005	788093
15. घटाइए—राष्ट्रीय आ.आ. निधि व्यय प्राप्तियों से घटाकर	3160	3900	3998	2810	4650	3461	5690	6450	3660	2500
<b>निवल-केन्द्र का कर राजस्व</b>	<b>456536</b>	<b>569869</b>	<b>629765</b>	<b>741878</b>	<b>815853</b>	<b>903617</b>	<b>943765</b>	<b>1101372</b>	<b>126454</b>	<b>1480649</b>
1. राजकोषीय सेवाएं	113	84	129	786	884	1394	630	765	700	721
2. ब्याज प्राप्तियां	21784	19734	20252	20761	21868	23804	25379	16229	13551	15162
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	11242	10363	10040	9406	8985	8367	7859	7608	7321	6467
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	5543	3906	5630	5349	7983	9148	*10145	...	...	...
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	4963	5465	4582	6006	4900	6289	7375	8621	6230	8695
3. लाभान्श और लाभ	50250	47992	50608	53761	90435	89833	112127	123017	106433	107312
4. अन्य सामान्य सेवाएं	9153	9530	7049	10160	11670	13472	14373	16091	17257	18707
5. सामाजिक सेवाएं	676	771	948	4766	1264	1675	4331	11928	3661	8875
6. आर्थिक सेवाएं	29977	136722	38708	43693	67657	64718	91001	101697	88813	89583
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1218	1097	1015	1117	1474	1362	1538	1804	1876	2062
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	3141	2673	2962	2311	3618	1600	1881	1300	3681	2667
<b>जोड़-कर-भिन्न राजस्व**</b>	<b>116276</b>	<b>218603</b>	<b>121671</b>	<b>137355</b>	<b>198870</b>	<b>197857</b>	<b>251260</b>	<b>272831</b>	<b>235974</b>	<b>245089</b>
<b>जोड़-राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>572812</b>	<b>788472</b>	<b>751436</b>	<b>879233</b>	<b>1014723</b>	<b>1101475</b>	<b>1195025</b>	<b>1374203</b>	<b>1505428</b>	<b>1725738</b>
** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर।										
(क) सामान्य सेवाएं	8730	9550	9729	10111	11695	13502	21140	24561	24923	25176
(ख) आर्थिक सेवाएं	98355	107342	118646	139981	158737	177693	187477	184221	213389	223581
<b>जोड़</b>	<b>107085</b>	<b>116892</b>	<b>128375</b>	<b>150092</b>	<b>170432</b>	<b>191195</b>	<b>208617</b>	<b>208782</b>	<b>238312</b>	<b>248757</b>

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़ रूपए)

	वास्तविक 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018	संशोधित अनुमान 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019
<b>क. राजस्व प्राप्ति</b>				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्ति	1615987.98	1777929.72	1777962.49	1993349.32
<b>घटाइए:</b>				
रेलवे की राजस्व प्राप्ति	-165382.48	-189498.37	-187425.00	-201090.00
डाक की राजस्व प्राप्ति	-11511.00	-15210.03	-15418.16	-16956.11
रक्षा की राजस्व प्राप्ति	-24512.69	-24164.87	-23922.52	-24175.79
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्ति	-5182.77	-6774.37	-6775.37	-6881.63
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्ति	-3.14	-6.00	-6.00	-8.00
ब्याज भुगतान	-23798.49	-15000.00	-12957.73	-15000.00
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
दावा न किए गए जमा की प्राप्ति	...	...	-64.43	...
राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उपकरण की प्रतिपूर्ति	-145.64	-250.00	-146.27	...
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज/गारंटी शुल्क की माफी, ऋणों को बड़े खाते डालना आदि के रूप में उपलब्ध कराई गई राहत।	-4798.79	-255.00	-21159.51	...
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-6450.00	-10000.00	-3660.00	-2500.00
<b>निवल राजस्व प्राप्ति</b>	<b>1374202.98</b>	<b>1515771.08</b>	<b>1505427.50</b>	<b>1725737.79</b>
<b>ख. पूंजी प्राप्ति</b>				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्ति (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियाँ, अर्थात् अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	1167156.84	1324102.56	1547292.65	1425974.94
<b>कुल लोक लेखा प्राप्ति</b>	<b>1273949.34</b>	<b>1229169.69</b>	<b>1329272.78</b>	<b>1442490.60</b>
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थात् अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	9427.78	2002.00	77590.30	...
<b>जोड़</b>	<b>2450533.96</b>	<b>2555274.25</b>	<b>2954155.73</b>	<b>2868465.54</b>
<b>घटाइए :</b>				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थात् अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-632557.58	-716092.56	-757526.83	-699670.92
<b>कुल लोक लेखा संवितरण</b>	<b>-1182567.96</b>	<b>-1169116.34</b>	<b>-1300123.01</b>	<b>-1364482.49</b>
<b>निवल</b>	<b>635408.42</b>	<b>670065.35</b>	<b>896505.89</b>	<b>804312.13</b>
बोनस शेयर जारी करना	...	...	-3.40	...
पूंजी में वृद्धि करने के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करना	...	...	-8000.00	-65000.00
ऋण के नए प्रबंध (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता की प्राप्ति	...	...	-12732.00	-14016.00
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	-201.54	-275.00	-275.00	-275.00
भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-140.00	-0.01	-150.00	...
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियाँ	-1672.19	-0.03	-0.01	-0.03
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियाँ	-54.70	-70.81	-135.58	-103.25
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियाँ	-454.13	-500.00	-408.34	-408.34
भारतीय खाद्य निगम को अर्थात् अग्रिम	-23000.00	-50000.00	-50000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थात् अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
<b>निवल पूंजी प्राप्ति</b>	<b>609885.86</b>	<b>618119.50</b>	<b>751701.56</b>	<b>673409.51</b>
<b>कुल प्राप्ति</b>	<b>1984088.84</b>	<b>2133890.58</b>	<b>2257129.06</b>	<b>2399147.30</b>
<b>कुल व्यय</b>	<b>1975193.71</b>	<b>2146734.78</b>	<b>2217750.06</b>	<b>2442213.30</b>
<b>नकद शेष (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)</b>	<b>8895.13</b>	<b>-12844.20</b>	<b>39379.00</b>	<b>-43066.00</b>

**बजट अनुमान 2018-2019 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण**

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 11)	2016-17 के अंतर का (वास्तविक सं.अ.) ब.अ. 2018-19 का समंजन#	कुल जोड़ (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	9526.44	8430.37	-0.30	10919.11	904.05	1671.58	1628.92	-0.01	33080.16	849.68	<b>33929.84</b>
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3031.64	2682.83	-0.10	3474.84	287.70	531.96	518.38	0.00	10527.25	271.22	<b>10798.47</b>
3.	असम	3.311	7326.84	6483.84	-0.23	8397.95	695.31	1285.62	1252.81	0.00	25442.14	653.16	<b>26095.30</b>
4.	बिहार	9.665	21387.47	18926.71	-0.68	24514.11	2029.65	3752.81	3657.03	-0.01	74267.09	1905.28	<b>76172.37</b>
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6815.66	6031.48	-0.22	7812.05	646.80	1195.93	1165.40	0.00	23667.10	608.39	<b>24275.49</b>
6.	गोवा	0.378	836.47	740.23	-0.03	958.75	79.38	146.77	143.03	0.00	2904.60	74.40	<b>2979.00</b>
7.	गुजरात	3.084	6824.52	6039.31	-0.22	7822.19	647.64	1197.48	1166.92	0.00	23697.84	609.24	<b>24307.08</b>
9.	हरियाणा	1.084	2398.76	2122.77	-0.08	2749.43	227.64	420.91	410.16	0.00	8329.59	213.49	<b>8543.08</b>
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1577.78	1396.25	-0.05	1808.44	149.73	276.85	269.78	0.00	5478.78	140.53	<b>5619.31</b>
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4102.68	3630.64	-0.13	4702.45	389.34	719.89	701.51	0.00	14246.38	316.26	<b>14562.64</b>
11.	झारखंड	3.139	6946.22	6147.02	-0.22	7961.70	659.19	1218.84	1187.73	0.00	24120.48	619.32	<b>24739.80</b>
12.	कर्नाटक	4.713	10429.29	9229.34	-0.33	11953.96	989.73	1830.00	1783.30	-0.01	36215.28	930.37	<b>37145.65</b>
13.	केरल	2.500	5532.20	4895.68	-0.18	6340.95	525.00	970.72	945.95	0.00	19210.32	492.69	<b>19703.01</b>
14.	मध्य प्रदेश	7.548	16702.80	14781.04	-0.53	19144.60	1585.08	2930.80	2856.00	-0.01	57999.78	1490.13	<b>59489.91</b>
15.	महाराष्ट्र	5.521	12217.30	10811.62	-0.39	14003.35	1159.41	2143.74	2089.03	-0.01	42424.05	1090.54	<b>43514.59</b>
16.	मणिपुर	0.617	1365.35	1208.25	-0.04	1564.95	129.57	239.57	233.46	0.00	4741.11	121.58	<b>4862.69</b>
17.	मेघालय	0.642	1420.67	1257.21	-0.05	1628.36	134.82	249.28	242.92	0.00	4933.21	126.56	<b>5059.77</b>
18.	मिजोरम	0.460	1017.92	900.81	-0.03	1166.73	96.60	178.61	174.05	0.00	3534.69	90.63	<b>3625.32</b>
19.	नागालैण्ड	0.498	1102.01	975.22	-0.03	1263.12	104.58	193.37	188.43	0.00	3826.70	98.16	<b>3924.86</b>
20.	ओडिशा	4.642	10272.18	9090.30	-0.33	11773.88	974.82	1802.43	1756.43	-0.01	35669.70	916.23	<b>36585.93</b>
21.	पंजाब	1.577	3489.71	3088.20	-0.11	3999.87	331.17	612.33	596.70	0.00	12117.87	310.66	<b>12428.53</b>
22.	राजस्थान	5.495	12159.77	10760.71	-0.39	13937.41	1153.95	2133.64	2079.19	-0.01	42224.27	1085.39	<b>43309.66</b>
23.	सिक्किम	0.367	812.13	718.69	-0.03	930.85	77.07	142.50	138.86	0.00	2820.07	72.27	<b>2892.34</b>
24.	तमिलनाडु	4.023	8902.41	7878.13	-0.28	10203.86	844.83	1562.08	1522.22	-0.01	30913.24	793.85	<b>31707.09</b>
25.	तेलंगाना	2.437	5392.78	4772.31	-0.17	6181.16	511.77	946.26	922.11	0.00	18726.22	481.21	<b>19207.43</b>
26.	त्रिपुरा	0.642	1420.67	1257.21	-0.05	1628.36	134.82	249.28	242.92	0.00	4933.21	126.52	<b>5059.73</b>
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	39741.08	35168.62	-1.27	45550.85	3771.39	6973.27	6795.29	-0.02	137999.21	3540.76	<b>141539.97</b>
28.	उत्तराखंड	1.052	2327.95	2060.10	-0.07	2668.27	220.92	408.48	398.05	0.00	8083.70	207.46	<b>8291.16</b>
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	16207.12	14342.39	-0.52	18576.45	1538.04	2843.82	2771.24	-0.01	56278.53	1443.97	<b>57722.50</b>
		<b>100.00</b>	<b>221287.82</b>	<b>195827.28</b>	<b>-7.06</b>	<b>253638.00</b>	<b>21000.00</b>	<b>38828.82</b>	<b>37837.82</b>	<b>-0.11</b>	<b>768412.57</b>	<b>19679.95</b>	<b>788092.52</b>

\* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

# वर्ष (2016-17) के लिए समायोजनीय कर राशि के अंतरण को अप्रैल, 2018 में जारी करने का प्रस्ताव है जो मार्च, 2018 माह की जीएसटी प्राप्तियों के लिए संशोधित नियत तारीख है।

संशोधित अनुमान 2017-2018 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 11)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर	कुल जोड़ (12+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	8879.73	7498.31	-0.28	4003.13	2927.31	2137.08	2213.66	-0.01	27658.93	4.398	1342.32	29001.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2825.84	2386.22	-0.09	1273.94	931.57	680.09	704.46	0.00	8802.03	1.431	436.76	9238.79
3.	असम	3.311	6829.45	5767.00	-0.22	3078.83	2251.41	1643.64	1702.54	0.00	21272.65	3.371	1028.87	22301.52
4.	बिहार	9.665	19935.56	16834.19	-0.64	8987.29	6572.01	4797.88	4969.80	-0.01	62096.08	9.787	2987.11	65083.19
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6352.98	5364.65	-0.20	2864.03	2094.34	1528.97	1583.76	0.00	19788.53	3.166	966.30	20754.83
6.	गोवा	0.378	779.68	658.39	-0.03	351.50	257.03	187.65	194.37	0.00	2428.59	0.379	115.68	2544.27
7.	गुजरात	3.084	6361.23	5371.61	-0.20	2867.75	2097.06	1530.95	1585.81	0.00	19814.21	3.172	968.13	20782.34
8.	हरियाणा	1.084	2235.92	1888.08	-0.07	1007.99	737.10	538.12	557.40	0.00	6964.54	1.091	332.99	7297.53
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1470.67	1241.88	-0.05	663.00	484.83	353.95	366.63	0.00	4580.91	0.722	220.36	4801.27
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3824.16	3229.24	-0.12	1724.00	1260.68	920.36	953.34	0.00	11911.66	0.000	0.00	11911.66
11.	झारखंड	3.139	6474.67	5467.41	-0.21	2918.89	2134.46	1558.26	1614.09	0.00	20167.57	3.198	976.07	21143.64
12.	कर्नाटक	4.713	9721.29	8208.96	-0.31	4382.52	3204.74	2339.62	2423.45	-0.01	30280.26	4.822	1471.73	31751.99
13.	केरल	2.500	5156.64	4354.42	-0.17	2324.70	1699.95	1241.04	1285.52	0.00	16062.10	2.526	770.97	16833.07
14.	मध्य प्रदेश	7.548	15568.92	13146.87	-0.50	7018.73	5132.49	3746.96	3881.23	-0.01	48494.69	7.727	2358.37	50853.06
15.	महाराष्ट्र	5.521	11387.92	9616.31	-0.36	5133.87	3754.17	2740.72	2838.93	-0.01	35471.55	5.674	1731.77	37203.32
16.	मणिपुर	0.617	1272.66	1074.67	-0.04	573.74	419.55	306.29	317.27	0.00	3964.14	0.623	190.15	4154.29
17.	मेघालय	0.642	1324.23	1118.22	-0.04	596.98	436.55	318.70	330.12	0.00	4124.76	0.650	198.39	4323.15
18.	मिजोरम	0.460	948.82	801.21	-0.03	427.75	312.79	228.35	236.53	0.00	2955.42	0.464	141.62	3097.04
19.	नागालैण्ड	0.498	1027.20	867.40	-0.03	463.08	338.63	247.22	256.07	0.00	3199.57	0.503	153.52	3353.09
20.	ओडिशा	4.642	9574.85	8085.29	-0.31	4316.50	3156.47	2304.37	2386.95	-0.01	29824.11	4.744	1447.92	31272.03
21.	पंजाब	1.577	3252.81	2746.77	-0.10	1466.42	1072.33	782.85	810.90	0.00	10131.98	1.589	484.98	10616.96
22.	राजस्थान	5.495	11334.29	9571.02	-0.36	5109.69	3736.49	2727.82	2825.56	-0.01	35304.50	5.647	1723.53	37028.03
23.	सिक्किम	0.367	756.99	639.23	-0.03	341.27	249.55	182.18	188.71	0.00	2357.90	0.369	112.62	2470.52
24.	तमिलनाडु	4.023	8298.06	7007.14	-0.27	3740.91	2735.56	1997.09	2068.65	-0.01	25847.13	4.104	1252.59	27099.72
25.	तेलंगाना	2.437	5026.69	4244.69	-0.16	2266.12	1657.11	1209.77	1253.12	0.00	15657.34	2.499	762.72	16420.06
26.	त्रिपुरा	0.642	1324.23	1118.22	-0.04	596.98	436.55	318.70	330.12	0.00	4124.76	0.648	197.78	4322.54
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	37043.22	31280.42	-1.18	16699.72	12211.76	8915.17	9234.63	-0.02	115383.72	18.205	5556.38	120940.10
28.	उत्तराखंड	1.052	2169.91	1832.34	-0.07	978.23	715.34	522.23	540.95	0.00	6758.93	1.068	325.97	7084.90
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	15106.89	12756.71	-0.48	6810.44	4980.17	3635.77	3766.05	-0.01	47055.54	7.423	2265.59	49321.13
<b>जोड़</b>		<b>100.00</b>	<b>206265.51</b>	<b>174176.87</b>	<b>-6.59</b>	<b>92988.00</b>	<b>67998.00</b>	<b>49641.80</b>	<b>51420.62</b>	<b>-0.11</b>	<b>642484.10</b>	<b>100.00</b>	<b>30521.19</b>	<b>673005.29</b>

\* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

## वास्तविक 2016-2017 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)#	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11+13)	सं.अ. 2016-17 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	2016-17 का अंतर (वास्तविक सं.अ) सं.अ. 2018-19 में समायोज्य (14-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	8134.88	6000.76	3.10	3874.45	4118.52	6.11	59.38	22197.20	4.3980	4326.79	26523.99	25674.31	849.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2588.80	1909.65	0.99	1232.98	1310.66	1.95	18.90	7063.93	1.4310	1407.83	8471.76	8200.54	271.22
3.	असम	3.311	6256.58	4615.22	2.38	2979.86	3167.58	4.70	45.67	17071.99	3.3710	3316.41	20388.40	19735.24	653.16
4.	बिहार	9.665	18263.33	13472.09	6.95	8698.38	9246.34	13.73	133.31	49834.13	9.7870	9628.52	59462.65	57557.37	1905.28
5.	छत्तीसगढ़	3.080	5820.08	4293.23	2.21	2771.96	2946.58	4.38	42.48	15880.92	3.1660	3114.73	18995.65	18387.26	608.39
6.	गोवा	0.378	714.28	526.89	0.27	340.19	361.63	0.54	5.21	1949.01	0.3790	372.86	2321.87	2247.47	74.40
7.	गुजरात	3.084	5827.64	4298.80	2.22	2775.56	2950.41	4.38	42.54	15901.55	3.1720	3120.64	19022.19	18412.95	609.24
8.	हरियाणा	1.084	2048.36	1510.99	0.78	975.59	1037.04	1.54	14.95	5589.25	1.0910	1073.33	6662.58	6449.09	213.49
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1347.31	993.85	0.51	641.69	682.11	1.01	9.83	3676.31	0.7220	710.31	4386.62	4246.09	140.53
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3503.38	2584.30	1.33	1668.58	1773.69	2.63	25.57	9559.48	0.0000	0.00	9559.48	9243.22	316.26
11.	झारखंड	3.139	5931.57	4375.47	2.26	2825.06	3003.03	4.46	43.30	16185.15	3.1980	3146.22	19331.37	18712.05	619.32
12.	कर्नाटक	4.713	8905.85	6569.47	3.39	4241.64	4508.85	6.69	65.01	24300.90	4.8220	4743.92	29044.82	28114.45	930.37
13.	केरल	2.500	4724.09	3484.76	1.80	2249.97	2391.71	3.55	34.48	12890.36	2.5260	2485.10	15375.46	14882.77	492.69
14.	मध्य प्रदेश	7.548	14262.97	10521.19	5.43	6793.10	7221.04	10.72	104.11	38918.56	7.7270	7601.88	46520.44	45030.31	1490.13
15.	महाराष्ट्र	5.521	10432.68	7695.75	3.97	4968.83	5281.84	7.84	76.15	28467.06	5.6740	5582.12	34049.18	32958.64	1090.54
16.	मणिपुर	0.617	1165.90	860.04	0.44	555.29	590.27	0.88	8.51	3181.33	0.6230	612.91	3794.24	3672.66	121.58
17.	मेघालय	0.642	1213.15	894.89	0.46	577.79	614.19	0.91	8.86	3310.25	0.6500	639.47	3949.72	3823.16	126.56
18.	मिजोरम	0.460	869.23	641.20	0.33	413.99	440.07	0.65	6.34	2371.81	0.4640	456.49	2828.30	2737.67	90.63
19.	नागालैण्ड	0.498	941.04	694.16	0.36	448.19	476.43	0.71	6.87	2567.76	0.5030	494.86	3062.62	2964.46	98.16
20.	ओडिशा	4.642	8771.69	6470.51	3.34	4177.74	4440.92	6.59	64.03	23934.82	4.7440	4667.18	28602.00	27685.77	916.23
21.	पंजाब	1.577	2979.95	2198.19	1.13	1419.28	1508.69	2.24	21.75	8131.23	1.5890	1563.27	9694.50	9383.84	310.66
22.	राजस्थान	5.495	10383.55	7659.51	3.95	4945.43	5256.97	7.80	75.79	28333.00	5.6470	5555.56	33888.56	32803.17	1085.39
23.	सिक्किम	0.367	693.50	511.56	0.26	330.30	351.10	0.52	5.06	1892.30	0.3690	363.03	2255.33	2183.06	72.27
24.	तमिलनाडु	4.023	7602.00	5607.68	2.89	3620.65	3848.73	5.71	55.49	20743.15	4.1040	4037.55	24780.70	23986.85	793.85
25.	तेलंगाना	2.437	4605.04	3396.94	1.75	2193.27	2331.44	3.46	33.61	12565.51	2.4990	2458.53	15024.04	14542.83	481.21
26.	त्रिपुरा	0.642	1213.15	894.89	0.46	577.79	614.19	0.91	8.86	3310.25	0.6480	637.51	3947.76	3821.24	126.52
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	33935.97	25033.14	12.91	16162.87	17181.06	25.50	247.71	92599.16	18.2050	17910.21	110509.37	106968.61	3540.76
28.	उत्तराखंड	1.052	1987.90	1466.39	0.76	946.79	1006.43	1.50	14.51	5424.28	1.0680	1050.71	6474.99	6267.53	207.46
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	13839.69	10208.96	5.27	6591.51	7006.74	10.40	101.02	37763.59	7.4230	7302.80	45066.39	43622.42	1443.97
	<b>जोड़</b>	<b>100.00</b>	<b>188963.56</b>	<b>139390.48</b>	<b>71.90</b>	<b>89998.73</b>	<b>95668.26</b>	<b>142.01</b>	<b>1379.30</b>	<b>515614.24</b>	<b>100.00</b>	<b>98380.74</b>	<b>613994.98</b>	<b>594315.03*</b>	<b>19679.95</b>

# चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

**जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)**  
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2016-17, के अंत की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (करोड़ रुपए)					विवादरहित राशियां (करोड़ रुपए)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
	<b>आय एवं व्यय</b>											
	<b>पर कर</b>	<b>386804.00</b>	<b>191267.00</b>	<b>21701.00</b>	<b>10618.00</b>	<b>610390.00</b>	<b>88854.00</b>	<b>24293.00</b>	<b>5001.00</b>	<b>2508.00</b>	<b>120656.00</b>	<b>731046.00</b>
0020	निगम कर	207867.00	83550.00	11686.00	3506.00	<b>306609.00</b>	54397.00	17067.00	3459.00	1559.00	<b>76482.00</b>	<b>383091.00</b>
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	178937.00	107717.00	10015.00	7112.00	<b>303781.00</b>	34457.00	7226.00	1542.00	949.00	<b>44174.00</b>	<b>347955.00</b>
	<b>वस्तुओं एवं सेवाओं</b>											
	<b>पर कर</b>	<b>38842.24</b>	<b>63333.26</b>	<b>21272.72</b>	<b>5034.91</b>	<b>128483.13</b>	<b>1576.25</b>	<b>4448.29</b>	<b>4397.46</b>	<b>2742.26</b>	<b>13164.26</b>	<b>141647.39</b>
0037	सीमा शुल्क	4064.96	5742.93	2715.94	1145.40	<b>13669.23</b>	364.74	1019.46	1244.83	917.25	<b>3546.28</b>	<b>17215.51</b>
0038	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	15934.37	20485.53	10835.75	3768.40	<b>51024.05</b>	639.33	2362.22	2871.28	1803.89	<b>7676.72</b>	<b>58700.77</b>
0044	सेवा कर	18842.91	37104.80	7721.03	121.11	<b>63789.85</b>	572.18	1066.61	281.35	21.12	<b>1941.26</b>	<b>65731.11</b>
	<b>जोड़</b>	<b>425646.24</b>	<b>254600.26</b>	<b>42973.72</b>	<b>15652.91</b>	<b>738873.13</b>	<b>90430.25</b>	<b>28741.29</b>	<b>9398.46</b>	<b>5250.26</b>	<b>133820.26</b>	<b>872693.39</b>

**कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि**  
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2016-17 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
<b>राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]</b>	<b>1360.60</b>	<b>1392.24</b>	<b>1437.98</b>	<b>1460.93</b>	<b>36784.81</b>	<b>42436.56</b>
<b>ब्याज प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)</b> <i>जिसमें</i>	<b>1360.60</b>	<b>1392.24</b>	<b>1437.98</b>	<b>1460.93</b>	<b>36784.81</b>	<b>42436.56</b>
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	213.22	197.59	217.40	241.88	5414.42	6284.51
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.34	0.34	0.34	0.34	3.62	4.98
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	1147.04	1194.31	1220.24	1218.71	31366.77	36147.07
<b>(ii) लाभांश एवं लाभ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 सामान्य सेवाएं</b>	<b>7870.43</b>	<b>6414.92</b>	<b>4897.32</b>	<b>6268.09</b>	<b>7108.14</b>	<b>32558.90</b>
पुलिस प्राप्तियां	7870.43	6414.92	4897.32	6268.09	7108.14	32558.90
<b>3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]</b>	<b>19210.77</b>	<b>4605.57</b>	<b>3397.61</b>	<b>7194.91</b>	<b>6690.63</b>	<b>41099.49</b>
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	19.02	10.90	9.35	8.19	7.61	55.07
(ii) संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्तियां	19191.75	4594.67	3388.26	7186.72	6683.02	41044.42
<b>4 अन्य प्राप्तियां</b>	<b>10991.39</b>	<b>6060.16</b>	<b>5460.98</b>	<b>14712.60</b>	<b>18523.82</b>	<b>55748.95</b>
<b>जोड़ [1+2+3+4]</b>	<b>39433.19</b>	<b>18472.89</b>	<b>15193.89</b>	<b>29636.53</b>	<b>69107.40</b>	<b>171843.90</b>

**टिप्पणी:**

- ये आंकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित हैं और अन्य बातों के अलावा ये आंकड़े संग्रहित करते हुए किसी चालू संराधन/परिसमापन/विवादों/सुधारों आदि से प्रभावित हो सकते हैं।

## केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण

### वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18

किसी भी कर प्रणाली और इसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकित रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयता' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को भी परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट के दौरान प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 से 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 से और इसके आगे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जो वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, वह राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांशतः "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भी एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया है:

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व लाभ को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटाने पर प्राप्त किया जा सकेगा। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए पृथक रूप से किया जाता है, कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित किए गए कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या बहुत निम्न स्तर पर हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भागों में किया गया है।

### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था की जाती है। इन कर लाभों



में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः कार्पोरेट व गैर-कार्पोरेट फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन के क्रियाकलापों में संलिप्त धर्मार्थ (चेरीटेबल) संस्थाओं का ब्यौरा भी दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कार्पोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

#### क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2016-17 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2017-18) के लिए 30 नवम्बर, 2017 तक 6,08,836 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2017-18 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2016-17 में उनकी आय पर 3,96,973.07 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 41,443.08 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 6,08,836 कम्पनियों<sup>1</sup> के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से चुना गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- 3,30,730 कम्पनियों (54.32 प्रतिशत) ने कर देने से पहले 14,76,399 करोड़ रूपये का लाभ तथा 10,10,993 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)<sup>2</sup> की जानकारी दी है।
- 2,60,194 कम्पनियों (42.74 प्रतिशत) ने 6,34,283.38 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 17,912 कम्पनियों (2.94 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूने की प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 26.89 प्रतिशत<sup>4</sup> थी [जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह दर 28.24 प्रतिशत सूचित की गई थी] जबकि सांविधिक कर दर 1 करोड़ रूपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 30.90 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रु. तक आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रूपये से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप औसत सांविधिक दर 34.38 प्रतिशत<sup>5</sup> थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी कहा जाएगा) 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 61.17 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल 54.45 कम्पनी आयकर देयता का प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 23.94 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों, जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक थी, की प्रभावी कर दर 29.43 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु यह प्रभावी कर दर 29.43 प्रतिशत है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-धीरे समाप्त होने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (इसे बाद में मैट कहा जाएगा) लगाने के कारण है। संपूर्ण नमूने की 26.89 प्रतिशत की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रभावी दर 28.24 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है।

इसे एक करोड़ रूपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (76.08 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (89.42 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 29.43 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। यह बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2016-17) (सैम्पल आकार-6,08,836)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	260194	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
2	शून्य	17912	0.00	9.31	9.31	0.00	0.00
3	0-1 करोड़ रूपए	290250	2.55	3.00	3.00	89.42	29.43

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
4	1-10 करोड़ रूपए	31941	6.63	7.34	7.34	84.16	29.20
5	10-50 करोड़ रूपए	5997	8.74	8.92	8.92	77.64	29.00
6	50-100 करोड़ रूपए	1110	5.29	5.17	5.17	74.46	28.11
7	100-500 करोड़ रूपए	1097	15.63	15.33	15.33	74.62	28.98
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	335	61.17	50.25	50.25	62.51	23.94
9	<b>सभी कंपनियां</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76.08</b>	<b>26.89</b>

1 वित्त वर्ष 2015-16 के लिए नमूना आकार 5,97,884 था।

2 आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

3 कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़कर) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

4 लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 26.69 प्रतिशत थी।

5 1 करोड़ रुपये तक कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 30.90 प्रतिशत की दर, 10 करोड़ रु. तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत की कर दर तथा कुल 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 34.6 प्रतिशत की कर दर का भारत औसत निकाल कर औसत सांविधिक कर दर निकाली गई है।

**सारणी 2** में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,45,566 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 24.17 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 9.39 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 10.14 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में, अधिकांश कम्पनियों (3,45,566) अर्थात् 56.76 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है कि कुल लाभ का 6.44 प्रतिशत तथा कुल करों का 16.10 प्रतिशत वाली 39,121 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर\* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2016-17) (नमूना आकार-6,08,836)**

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	2,75,176	3.61	0.76	0.67
2	0-20	70,390	20.57	8.63	9.47
3	20-25	24,619	28.00	17.99	23.49
4	25-30	78,022	11.27	12.77	11.95
5	30-33	1,03,596	30.12	43.75	39.61
6	>33	39,121	6.44	16.10	14.81
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0))	17,912	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल हैं।

**सारणी 3** में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे का थोड़ा अधिक भाग कर के रूप में देती हैं।

**सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार-6,08,836)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	215	19.59	18.57	25.48
2	निजी	6,08,621	80.41	81.43	27.23
	<b>योग</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26.89</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

# कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

**सारणी 4** में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर 24.75 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दर 28.73 प्रतिशत अधिक है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

**सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार - 6,08,836)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,24,205	46.32	42.64	24.75
2	सेवा	4,84,631	53.68	57.36	28.73
	<b>योग</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26.89</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

**सारणी 5** में वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध में कम्पनी कर्दाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2017 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2017-18 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। सभी कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का नियत तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात्, कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 34.38 प्रतिशत की दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को आस्थगित कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य ह्रास से इस तरह नगद व्यय नहीं होता, अतः इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर, कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वित्त वर्ष 2016-17 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.9 प्रतिशत की दर से) लगाता है, यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, राजस्व प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2017-18 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017-18 में परिलक्षित कॉर्पोरेट कर वृद्धि द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य ह्रास दरों को 40 प्रतिशत तक सीमित करके युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती/भारित कटौती को वित्त वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है, सामान्य वृद्धि के बाद मूल्य ह्रास को 12 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि धारा 35कग के तहत कटौती समाप्त कर दी गई है, अतः धारा 35कग के संबंध में कोई आंकलन नहीं किया गया है।

सारणी 5, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कर व्यय के अनुसार कारपोरेट कर्दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2017-18 का परिलक्षण है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कारपोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव  
(नमूना आकार - 6,08,836)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 कक)	57,289.10	19,695.99	21,882.02
2.	बढ़ा हुआ मूल्य हास (धारा 32)	1,92,991.38	66,350.44	64,868.81
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	32,762.98	11,263.91	11,012.39
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	870.08	299.13	-
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	5,019.85	1,725.82	1,917.37
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	4,171.95	1,434.32	1,593.51
7.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	299.80	103.07	114.51
8.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	20,200.42	6,944.90	7,715.71
9.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	844.15	290.22	322.43
10.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	799.99	275.04	305.56
11.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	33,997.42	11,688.31	12,985.58
12.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	441.34	151.73	168.57
13.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	4,876.73	1,676.62	1,862.71
14.	पात्र प्रारंभक कंपनियों (स्टार्ट अप) के लाभों की कटौती (धारा 80-झकग)	0.76	0.26	0.29
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	417.38	143.50	159.42
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	14.40	4.95	5.50
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	2.52	0.87	0.96
18.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	5,457.30	1,876.22	2,084.46
19.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	189.84	65.27	72.51
20.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से व्युत्पन्न औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	47.85	16.45	18.28
21.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	91.23	31.37	34.85

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
22.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	810.97	278.81	309.76
23.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	4.92	1.69	1.88
24.	आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झखक)	78.33	26.93	29.92
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	2,340.67	804.72	894.04
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	6,090.99	2,094.08	2,326.50
27.	उत्तराखण्ड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	5,487.25	1,886.52	2,095.90
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1,877.15	645.36	716.99
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-जजक)	125.81	43.25	48.05
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	857.21	294.71	327.42
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (80-उक)	200.82	69.04	76.70
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, कन्वेंशन सेंटर्स के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झघ)	2.63	0.90	1.00
	<b>कुल योग</b>		<b>1,30,184.41</b>	<b>1,33,953.59</b>
	घटाइए: न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता	51,186.09		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी	7,146.49		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणामस्वरूप निवल अतिरिक्त कर	44,039.60	44,039.60	48,927.48
	<b>कुल परित्यक्त राजस्व</b>		<b>86,144.82</b>	<b>85,026.11</b>

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2016-17 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 1,25,118.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 1,30,184.41 करोड़ रुपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 83,492.03 करोड़ रुपए के अनुमानित वर्ष में कर व्यय की तुलना में थोड़ा अधिक 86,114.82 करोड़ रुपए है। बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (66,350.44 करोड़ रुपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों, आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती तथा खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पाद कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में व्यापार (अन्य) और इस्पात और चीनी क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 12.12 प्रतिशत, 17.87 प्रतिशत तथा 18.04 प्रतिशत है। इसी तरह प्रभावी कर दर भी 18.04 प्रतिशत पर औसत से कम है।

#### ख. गैर-कारपोरेट सेक्टर (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई)

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर, 2017 तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की गई 8,86,571 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 8,86,571 फर्मों/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2016-17 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने कर पूर्व लाभ के रूप में 4,51,334.16 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 1,14,507.02 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 1,21,520 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 13.71 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 37,894.08 करोड़ रुपए सूचित किया है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 31.00 प्रतिशत (भारित औसत दर का परिकलन 1 करोड़ रुपये से कम से कम आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 30.90 प्रतिशत दर मानकर और 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 34.61 प्रतिशत दर मानकर किया गया) की आयकर दर लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय हेतु कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, पहले, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 31.00 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2017-2018 के लिए अनुमान को वर्ष 2016-2017 में संग्रहित वास्तविक आयकर के सापेक्ष 2017-2018 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2016-2017 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य ह्रास दरों को 40 प्रतिशत तक सीमित करके युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती/भारित कटौती को वित्त वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है, अनुमानों को सामान्य वृद्धि के बाद 12 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि धारा 35कग के तहत कटौती समाप्त कर दी गई है, अतः धारा 35कग के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है।

**सारणी 6** वित्त वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कारपोरेट करदाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2015-16 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण बना रहा जो कि कुल राजस्व प्रभाव का 43.14 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपग्रहों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल प्रत्येक राजस्व का 7.64 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2016-17 में गैर कारपोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 7847.28 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। **सारणी 6** में वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर व्यय के रूप में गैर-कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाया गया है।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान गैर-कारपोरेट [फर्मों/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (प्रतिदर्श आकार-7,91,531)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10कक)	1,163.20	360.59	461.70
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	4,124.70	1,278.66	1,440.73
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	26.52	8.22	9.27
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	34.10	10.57	-
5	निर्दिष्ट कारखानों के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	185.83	57.61	73.76
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	300.39	93.12	119.23
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	17.96	5.57	7.13
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपग्रहों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	383.78	118.97	152.33

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	40.65	12.60	16.14
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	3.01	0.93	1.20
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	845.73	262.18	335.69
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	9.32	2.89	3.70
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	98.57	30.56	39.12
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	46.91	14.54	18.62
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.44	0.14	0.18
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.80	0.56	0.71
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	290.07	89.92	115.14
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	13.51	4.19	5.36
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	7.04	2.18	2.80
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	66.47	20.61	26.38
21	आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण-कार्य में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झखक)	3.70	1.15	1.47
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	317.97	98.57	126.21
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	122.20	37.88	48.50
24	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	308.02	95.49	122.26
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	446.78	138.50	177.34
26	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जजक)	13.55	4.20	5.38
27	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	19.20	5.95	7.62
28	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.69	0.52	0.67
29	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	6,743.24	2,090.40	2,676.56
<b>योग</b>			<b>4,847.28</b>	<b>5,995.22</b>

## ग. व्यक्ति करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यक्ति / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यक्ति करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यक्ति करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व प्रभाव के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2017 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 3,14,44,307 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2016-17 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 3,00,000 रुपये की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

3,14,44,307 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं० 24 एवं 25) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात् इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2017 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 3,14,44,307 है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए दाखिल 3,93,27,511 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों/हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 4,12,93,887 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 11.78 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.68 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रु.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (उपकर सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यक्ति द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रु. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये के बीच की आय पर लागू 5% की दर के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है।
- (ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 13 से 17) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अध्वधीन थीं।
- (iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-
  - (क) पहले, प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।
  - (ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यक्ति करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी स्लैबों खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

- (iv) वित्त वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए अनुमान, वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के वर्ष 2016-17 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर के सापेक्ष अनुपात को आकलित करके तथा इस अनुपात को 2016-17 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसके मामले में राजस्व प्रभाव इस धारा के अंतर्गत



छूट के मौजूदा 5,000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए करने और इसके भत्ते आय के 5 लाख रुपये के स्थान पर केवल 3.5 लाख रुपये करने तथा करदाताओं की कुल संख्या में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर होने के आधार पर अनुमानित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 80गगछ के तहत कटौती को कायम रखा गया है, अतः वित्त वर्ष 2017-18 में कोई नया दावा नहीं होगा और अनुमानित राजस्व प्रभाव को इस धारा के तहत इसमें 10% की कटौती करते हुए आकलित किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान व्यष्टि करदाताओं, हिन्दू अवभाजित परिवार के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

### सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18

#### के दौरान व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2017-18)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	45007.90	58932.86
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	204.77	268.12
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	1493.17	1955.14
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	8.23	7.41
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1792.39	2346.94
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	406.37	532.10
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	223.36	292.46
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	528.97	692.63
9	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	461.29	604.01
10	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	434.56	569.01
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	52.12	68.24
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	77.98	102.10
13	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	63.33	82.92
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	0.58	0.76
15	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार में लगे तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	22.70	29.73
16	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	103.70	135.78
17	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.04	0.05
18	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जजक)	6.06	7.94

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2017-18)
19	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	11.98	15.69
20	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	1.61	2.11
21	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	954.28	1249.52
22	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	269.39	352.73
23	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	10078.59	6598.40
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	2090.84	1368.86
25	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	553.73	362.52
<b>योग</b>		<b>64,847.93</b>	<b>76,581.41</b>

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपये तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक और धारा 80झग के कारण है।

#### (घ) धर्मार्थ संस्थाएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, में शामिल संस्थाओं को भी विशेष छूट उपलब्ध है। ये संस्थाएं दान, स्वैच्छिक अशंदांन भी प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी होती है। ऐसी संस्थाओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

इन संस्थाओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 30 नवम्बर, 2017 तक ऐसी संस्थाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,37,869 है। भारत में ऐसी संस्थाओं द्वारा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 3,33,972.41 करोड़ रुपये है।

### परिशिष्ट

#### उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार – 6,08,836)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कंपनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	10,064	13,347.14	3,317.69	24.86
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,630	67,077.94	18,880.26	28.15
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	606	13,359.53	2,771.08	20.74
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराशना	454	2,927.42	790.47	27.00
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,654	54,701.35	13,290.65	24.30
6	विनिर्माण उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक	2,441	15,620.72	5,033.96	32.23
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,671	42,812.63	12,217.87	28.54
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3,802	26,872.54	7,516.88	27.97
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मिलें	1,512	1,131.36	313.41	27.70
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,436	10,003.65	3,082.41	30.81

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	1,976	617.92	193.02	31.24
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,329	3,569.73	798.39	22.37
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोसायन	629	1,33,861.41	28,506.84	21.30
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,834	56,465.46	12,447.69	22.04
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,527	6,597.47	2,242.88	34.00
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	885	1,068.95	315.29	29.50
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,066	18,542.49	3,313.79	17.87
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	326	5,222.69	942.04	18.04
19	विनिर्माण उद्योग	चाय, कॉफी	1,034	1,704.15	427.34	25.08
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9,485	15,768.28	3,977.42	25.22
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	259	17,548.90	5,600.44	31.91
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	133	6,918.55	1,688.75	24.41
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	589	2,751.76	675.90	24.56
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	52,863	1,65,347.71	40,920.81	24.75
25	व्यापार	शृंखला भंडार	657	1,569.91	519.84	33.11
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	18,102	8,336.42	2,403.49	28.83
27	व्यापार	थोक व्यापारी	26,342	13,925.19	4,576.37	32.86
28	व्यापार	अन्य	89,195	80,227.80	9,720.88	12.12
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	3,961	1,068.32	300.33	28.11
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	19,349	8,015.24	2,243.04	27.98
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,502	402.60	81.52	20.25
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासक	27,703	17,155.98	4,140.69	24.14
33	भवन निर्माता	अन्य	18,916	4,431.03	1,102.08	24.87
34	ठेकेदार	ठेकेदार: सिविल ठेकेदार	11,047	17,320.15	5,097.20	29.43
35	ठेकेदार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	27	8.07	2.34	28.99
36	ठेकेदार	ठेकेदार: खनन ठेकेदार	830	3,786.41	1,665.85	44.00
37	ठेकेदार	ठेकेदार: अन्य	11,892	9,109.51	2,478.13	27.20
38	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षक, आदि	94	7.80	2.64	33.83
39	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	90	40.20	10.24	25.48
40	व्यावसायिक	विधि व्यावसायिक	364	36.61	10.49	28.66
41	व्यावसायिक	चिकित्सा व्यावसायिक	2,037	537.42	165.49	30.79
42	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,077	378.60	117.41	31.01
43	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,443	1,627.39	487.46	29.95
44	व्यावसायिक	अन्य	6,172	1,190.54	379.76	31.90

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
45	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	3,155	2,370.86	788.22	33.25
46	सेवा क्षेत्र	सेवा सौंदर्य बैठकखाना	355	47.67	9.99	20.95
47	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवाएं	19,910	9,847.07	3,648.89	37.06
48	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	570	607.99	249.85	41.09
49	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,875	1,284.44	411.41	32.03
50	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	995	161.89	43.27	26.73
51	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	5,342	1,900.68	575.77	30.29
52	सेवा क्षेत्र	होटल	6,987	2,989.36	828.83	27.73
53	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	17,544	57,982.56	17,158.68	29.59
54	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	2,179	777.88	271.06	34.85
55	सेवा क्षेत्र	सोफ्टवेयर विकास अभिकरण	14,158	1,04,783.02	25,899.87	24.72
56	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,842	8,859.08	2,339.97	26.41
57	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,898	1,235.58	407.83	33.01
58	सेवा क्षेत्र	अन्य	79,377	92,878.52	30,143.79	32.46
59	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंकिंग कंपनियां	245	1,10,060.94	47,647.94	43.29
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,735	503.13	169.39	33.67
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्त संस्थाएं	620	6,796.30	2,657.95	39.11
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,574	16,814.20	4,880.71	29.03
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	517	2,885.56	619.65	21.47
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	303	183.88	48.77	26.52
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गेर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,501	71,610.57	23,221.24	32.43
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,487	10,759.58	2,847.84	26.47
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	15,524	45,499.63	12,946.49	28.45
68	मनोरंजन उद्योग	केबल टेलीविजन उत्पादन	372	199.66	62.22	31.17
69	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	321	2,103.15	452.65	21.52
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	36	19.55	5.27	26.98
71	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	692	1,146.41	400.85	34.97
72	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	375	3,705.90	1,023.02	27.61
73	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,606	4,675.78	1,251.51	26.77
74	अन्य	अन्य	36,736	60,692.80	11,189.66	18.44
<b>जोड़</b>			<b>6,08,836</b>	<b>14,76,399</b>	<b>3,96,973</b>	<b>26.89</b>

## वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अप्रत्यक्ष करों के लिए कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण

### अप्रत्यक्ष कर

#### क. सीमा शुल्क

1.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमाशुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। निर्यात पर, निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

क. सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उप-धारा (1)) (जिसे सामान्यतः काउंटरवेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और

ख. 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उपधारा (5)) (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

1.2 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में प्रत्येक प्रशुल्क के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को 'प्रशुल्क दरें' के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा संबंधित वित्त अधिनियमों में केन्द्र सरकार (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) जो विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है, के अंतर्गत) को अधिनियमों के माध्यम से प्रशुल्क दरों से भी कम शुल्क दरें विहित करने की शक्तियां दी गई हैं। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के जरिए विहित दरों को 'प्रभावी दरें' कहा गया है।

1.3 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं का मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है,

क. सशर्त छूट अधिनियम; और

ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

1.4 बिना शर्त छूटों में किसी पण्य वस्तु के सभी आयात के लिए प्रयोज्य शुल्क की प्रभावी दरें बिना शर्त निर्धारित की गई हैं। ऐसे मामलों में, प्रशुल्क दरें अपना महत्व खो देती हैं क्योंकि उस पण्य वस्तु का संपूर्ण आयात ऐसी निर्धारित प्रभावी दर पर होता है। अन्य शब्दों में, ऐसे बिना शर्त वाली छूटें वास्तव में संबंधित पण्य वस्तु प्रशुल्क दरें होती हैं।

1.5 इसके अतिरिक्त, भारत ने कई देशों अथवा देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक भागीदार करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है जिसमें इन देशों अथवा देशों के समूह को भारतीय निर्यात पर प्रशुल्क रियायत के बदले भारत को भी इन देशों अथवा देशों के समूह से किए जाने वाले आयातों पर इसी प्रकार की प्रशुल्क रियायतें देनी होंगी। इसी प्रकार, भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है जिसमें भारत को विशिष्ट वस्तुओं पर किसी प्रकार का प्रशुल्क नहीं देना होगा। चूंकि ये तरजीही प्रशुल्क, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के जरिए निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इन तरजीही प्रशुल्कों को ऐसे आयात के लिए वास्तविक प्रशुल्क माना जा सकता है।

1.6 जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, सशर्त छूटें उच्च प्रशुल्क दर अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर की अपेक्षा कतिपय विशेष परिस्थितियों में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसे मामलों में केवल वही आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, इस प्रकार की प्रभावी दरों के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, इन छूटों का परिणम संगत प्रशुल्क दर अथवा वस्तुतः प्रशुल्क दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व में होता है।

1.7 बजट 2016-17 तक, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में किसी छूट अधिसूचना चाहे सशर्त हो अथवा बिना शर्त, के अंतर्गत निर्धारित प्रभावी दर पर विचार करते हुए सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, यह सूत्र इस प्रकार है-

(क) जहां प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य दरें हैं- कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य x (शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) जहां प्रशुल्क दर यथा मूल्य आधार पर है किन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट है, फिर - कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (वस्तु का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तु की मात्रा x विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य और विशिष्ट दरों का मिश्रण हैं, उस स्थिति में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तदनुसार आकलित किया जाता है।

1.8 तथापि, उपर्युक्त पद्धति का परिणाम कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अति अनुमान में होता है क्योंकि इसमें बिना शर्त और सशर्त छूटों पर एक ही प्रकार से विचार किया जाता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है चूंकि बिना शर्त छूटें और प्रभाव में सरकारी वचनबद्धता

को दी गई छूटें वास्तविक प्रशुल्क दरें निर्धारित करती हैं, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का और उचित अनुमान अनिवार्यतः सशर्त छूट खातों पर परित्यक्त राजस्व होगा।

1.9 तदनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को परिकल्पित करने की पद्धति में संशोधन किया गया है। तदनुसार आगे किए गए विश्लेषण में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान के प्रयोजनार्थ ऐसी बिना शर्त दरों अथवा तरजीही प्रशुल्कों पर वास्तविक प्रशुल्क दरों के रूप में विचार किया जाता है। बजट 2017-18 से यही पद्धति अपनाई गई है।

1.10 इसके अतिरिक्त, ऐसी कतिपय तकनीकी छूटें हैं, जैसे भारतीय मूल की वस्तुओं के पुनः आयात के लिए, प्रदर्शनियों, मेलों, विशेष समारोह इत्यादि के अस्थायी आयातों, वारंटी के तहत आयातित वस्तु का प्रतिस्थापन, कंटेनरों को छूट, अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भेजी गई वस्तुओं पर छूट, अंटार्क्टिका अभियान में प्रयुक्त वस्तुएं इत्यादि। इन अधिसूचनाओं का राजस्व प्रभाव कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से भी निकाल दिया गया है।

1.11 विश्व भर में निर्यात को शून्य दर्जा दिया जाता है। भारत भी अपने निर्यात को शून्य दर्जा देता है। शून्य दर्जा निर्यातों के कई प्रकार हैं जिनमें निर्यात के पक्ष में अथवा इसके विरुद्ध कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों के प्रापण पर छूट देना शामिल है। इस प्रकार, ये छूटें निर्यातकों को केवल कर निष्प्रभाविता मुहैया कराती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम करों का निर्यात न करें। इनमें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं से निर्मित राजस्व प्रभाव को भी कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से निकाल दिया गया है।

1.12 तदनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान में निम्नलिखित शामिल नहीं है-

- (क) बिना शर्त बीसीडी, सीवीडी और एसएडी छूटें जिनमें वे छूटें शामिल हैं जहां सशर्त दर सामान्य बिना शर्त दर के समान है, के राजस्व निहितार्थ;
- (ख) विभिन्न एफटीए/सीईपीए/सीईसीए के अंतर्गत तरजीही प्रशुल्क के राजस्व निहितार्थ;
- (ग) पुनः आयात, अस्थायी आयात इत्यादि पर छूट जैसी तकनीकी छूटों के राजस्व निहितार्थ; और
- (घ) निर्यात के लिए कर निष्प्रभाविता अधिसूचनाओं के राजस्व निहितार्थ।

1.13 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि बिलों से सृजित आंकड़ों पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली और गैर-ईडीआई स्थानों, या जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः संचालन में नहीं है या जहां बिलों की प्रविष्टि अभी तक हाथ से की जा रही है, के जरिए आयातों के संबंध में आंकड़े नहीं दर्शाती हैं, अतः कर प्रोत्साहनों के कुल राजस्व के प्रभाव का पता लगाने के लिए उपयुक्त बहिर्वेशन किए जाते हैं।

1.14 नई पद्धति के अनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नवत है:-

- (क) विभिन्न अध्यायों के लिए सभी छूटों के राजस्व प्रभाव की गणना ईडीआई आंकड़ों (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात) पर आधारित है;
- (ख) ऐसे अनुमानों से, कतिपय शुल्कों जिन्हें काफी समय से नहीं लगाया जाता है, अर्थात् विशेष महत्व की वस्तुओं (जीएसआई) पर अतिरिक्त शुल्क (मार्च, 2006 से छूट), कपड़ों और कपड़ा उत्पादों (टीटीए) पर अतिरिक्त शुल्क (जुलाई, 2004 से छूट) और विशेष उत्पाद शुल्क (एसईडी) (मार्च, 2006 से छूट) के कारण ईडीआई में निरूपित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को घटाया जाता है;
- (ग) उपर्युक्त (ख) पर प्राप्त अनुमान से, बिना शर्त छूटों और छूटों (एफटीए/पीटीए/आईटीए हेतु) के कारण कुल बीसीडी और सीवीडी का प्रभाव घटाया जाता है;
- (घ) ऐसे अनुमानों में से पुनः आयात या पुनः निर्यात जैसी तकनीकी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व को घटाया जाता है;
- (ङ) इसके बाद इन अनुमानों का बहिर्वेशन ईडीआई और गैर-ईडीआई दोनों की स्वीकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है;
- (च) उपर्युक्त (घ) पर प्राप्त राशि से, निर्यात इनपुट कर निष्प्रभावन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को घटा दिया गया है ताकि कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव का पता लगाया जा सके।

1.15 वर्ष 2017-18 के लिए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के कारण परित्यक्त शुल्क की गणना के लिए उपरोक्त पद्धति अपनाई गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर दिनांक 01.07.2017 से सीवीडी और एसएडी छूटें वापस ले ली गई हैं, अतः वित्त वर्ष 2017-18 में सीमा शुल्क पक्ष में कर प्रोत्साहनों के प्रभाव दायरे में बीसीडी के कारण परित्यक्त शुल्क ही आते हैं। सीवीडी और एसएडी के कारण जून, 2017 तक परित्यक्त शुल्क और आईजीएसटी भी वर्ष 2017-18 के लिए शामिल नहीं किए गए हैं।

1.16 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए सीमा शुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस प्रकार बैठता है:

- (क) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, ईडीआई में वास्तविक प्राप्त सकल सीमाशुल्क राजस्व 96.3 प्रतिशत है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात् 3,20,481 करोड़ रुपये बैठता है। बिना शर्त बीसीडी और सीवीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट इत्यादि के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात्, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,28,788 करोड़ रुपये है। विस्तृत विवरण हेतु इसका बहिर्वेशन ईडीआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, पूर्ण वर्ष 2016-17 के लिए सीमाशुल्क का राजस्व प्रभाव 1,33,707 करोड़ रुपये बैठता है।
- (ख) वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से सितंबर 2017) में ईडीआई ने सकल सीमा शुल्क राजस्व का 91.20 प्रतिशत प्राप्त किया। ईडीआई डाटा के अनुसार, 2017-18 में (मूल सीमा शुल्क के कारण) कर प्रोत्साहनों का कुल अनुमानित सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद) 1,97,712 करोड़ रुपये होता है। बिना शर्त वाली बीसीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए की छूटों का राजस्व प्रभाव घटाने के पश्चात् 2017-18 में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव (बीसीडी के कारण) 51,676 करोड़ रुपए बैठता है। ईडीआई द्वारा एकत्रित नहीं किए गए डाटा के बहिर्वेशन के पश्चात् 2017-18 में अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 56,683 करोड़ रुपए बैठता है (केवल बीसीडी के कारण) क्योंकि 01 जुलाई, 2017 से सीवीडी और एसएडी जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं।

1.17 तथापि, इन अनुमानों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट और इंडिया से पण्य वस्तु निर्यात स्कीम प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें नहीं हैं, इन स्कीमों के राजस्व प्रभाव को सीमा शुल्क की ओर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाते हुए छोड़ दिया गया है, जैसाकि नीचे सारणी 8 में दर्शाया गया है।

**सारणी 8 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव**

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	2016-17	2017-18 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	29,339	10,679
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	9,073	3,400
3	ईपीसीजी	9,850	2,300
4	डीईपीबी स्कीम	16	3
5	एसईजेड	9,877	3,567
6	डीएफआरसी	0.33	0
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	452	354
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	251	183
9	टारगेट प्लस स्कीम	530	0
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	213	20
11	सर्विस एक्सपोर्ट इनसेंटिव स्कीम	772	1,809
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	3,861	461
13	भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना	12,746	13,937
	<b>योग</b>	<b>76,980</b>	<b>36,710</b>
14	क्र.सं. 8 से 13 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	18,373	16,408
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	58,607	20,302

1.18 इन उपर्युक्त प्राकलनों या राजस्व प्रभाव में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के अंतर्गत जारी किए गए तदर्थ छूट आदेश, जिन्हें आपवादिक स्वरूप की परिस्थितियों पर विचार करते हुए विशिष्ट मामलों में लागू किया जाता है, को तदर्थ रूप में प्रयोग में लाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1.19 2016-17 के दौरान सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव निर्धारित करने के लिए गणनाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रम.सं.	शीर्ष	फार्मूला	राशि (रु. करोड़)
क	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	-	3,20,481
ख	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	1,53,976
ग	बिना शर्त सीवीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	35,117
घ	एसएडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	2,600
ङ	कुल बिना छूट के कारण राजस्व प्रभाव	(ख+ग+घ)	1,91,693
च	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (सशर्त छूट)	क-ङ	1,28,788
छ	ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन	गx100/च*	1,33,707
ज	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण परित्यक्त राजस्व शुल्क	-	58,607
झ	<b>कर प्रोत्साहन का अंतिम राजस्व प्रभाव</b>	छ-ज	<b>75,100</b>

\* च गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2016-17 में वास्तविक सकल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का 96.30 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1.20 नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2017-18 के दौरान सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों (केवल बीसीडी के कारण) के अनुमानित राजस्व प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त परिकलनों को संक्षेप में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शीर्ष	फार्मूला	राशि, रुपये में (अप्रैल से सितम्बर 2017 के दौरान के आंकड़ों के आधार पर वार्षिक आधार पर परिकलित)
क	ईडीआई डाटा के अनुसार बीसीडी के कारण कर प्रोत्साहन का निवल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	—	1,97,712
ख	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	—	146036
ग	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (बीसीडी के कारण)	क-ख	51,676
घ	ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन	गx100/च*	56,683
ङ	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण परित्यक्त राजस्व शुल्क	—	20,302
च	<b>अप्राप्त वास्तविक शुल्क</b>	घ-ङ	<b>36,381</b>

\* च गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2017-18 में वास्तविक सीमा-शुल्क राजस्व संग्रहण का 91.20 प्रतिशत प्राप्त किया है।



1.21 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अधिसूचना (केवल बीसीडी) [आईटीए को छोड़कर] के अंतर्गत अधिमान्य दरों के राजस्व प्रभावों का नीचे उल्लेख किया गया है।

क्रम सं.	एफटीए अधिसूचना	करोड़ रुपये	
		2016-17	2017-18 (वार्षिक आधार पर परिकलन)
1.	आसियान देशों से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	5,738	8,845
2.	कोरिया से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	3,470	8,872
3.	जापान से आयातित वस्तुओं के लिए रियायती शुल्क दर	1,988	2,678
4.	नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए छूट	713	612
5.	मलेशिया से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	664	956
6.	थाइलैण्ड से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए छूट	473	579
7.	सिंगापुर से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	452	581
8.	अन्य	530	636
<b>9</b>	<b>कुल</b>	<b>14,028</b>	<b>23,759</b>

बहिर्वेशन के पश्चात कॉलम 3 और 4 में दी गई राशि को वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए गैर-ईडीआई डाटा को कवर करने के लिए क्रमशः 96.30 प्रतिशत और 91.20 प्रतिशत के कारक द्वारा दर्शाया गया है।

1.23 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तथा 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तुलनीय नहीं है क्योंकि 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव बासीडी, सीवीडी और एसएडी के कारण है जबकि 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव का अनुमान केवल बीसीडी के आधार पर लगाया गया है (1 जुलाई, 2017 से सीवीडी और एसएडी को जीएसटी में मिला दिया गया है)।

### ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अधिकांश मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा यह निर्धारित होता है कि विशिष्ट वस्तुओं पर यह शुल्क किस दर से लगाया जाना है। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की **टैरिफ दरों** के नाम से जाना जाता है।

2.2 सीमा शुल्क के मामले के समान ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या संबंधित वित्त अधिनियमों में भी केन्द्र सरकार को अधिसूचनाओं के माध्यम से टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के अंतर्गत उगाही गई लेवी के संबंध में भी लागू किया गया है। अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित दरें सामान्य रूप में **“प्रभावी दरों”** के नाम से जानी जाती हैं।

2.3 सीमा शुल्क के ही समान उत्पाद शुल्क के मामले में, सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

2.4 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। तथापि, सामान्य छूट से भिन्न, जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न हिस्सा है, छूट जारी करने का मुख्य उद्देश्य आपवादिक स्वरूप के मामलों से निपटना है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

2.5 बजट 2016-17 तक, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में सशर्त अथवा बिना शर्त वाली किसी भी छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया था, जिसका फार्मूला निम्नानुसार है:

(क) ऐसे मामलों में, जहां उत्पाद शुल्क का प्रशुल्क तथा प्रभावी दर यथा मूल्य दरें हैं वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य X (उत्पाद शुल्क की प्रशुल्क दर - उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) ऐसे मामलों में, जहां दर यथा मूल्य आधार पर है परन्तु प्रभावी दर विशिष्ट है वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = (वस्तु का मूल्य X उत्पाद शुल्क की दर) - (वस्तु की मात्रा X विशिष्ट उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) उन मामलों में जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें, यथा मूल्य का संयोजन हैं, वहां तदनुसार कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में विशिष्ट दरों की गणना की जाती है।

2.6 2017-18 के बजट में उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना प्रणाली भी संशोधित की गई थी तथा बिना शर्त अधिसूचनाओं द्वारा लागू की गई दरों को वास्तव में प्रशुल्क दरों के समान माना गया। यही विधि वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई गई है। चूंकि उत्पाद शुल्क (तम्बाकू उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले शुल्क को छोड़कर) जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अतः उत्पाद शुल्क के लिए कर प्रोत्साहनों और राजस्व प्रभाव का 2017-18 के मद से परिकलन रोक दिया गया है।

2.7 उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ऑटोमेशन सिस्टम देश के सभी उत्पाद शुल्क निर्धारण में प्रचालित है। फिर भी, जहां एसीईएस डाटा में सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित सभी वस्तुओं का ब्यौरा नहीं है, और उस हद तक इस आंकड़े के आधार पर परित्यक्त राजस्व के अनुमान के परिणामस्वरूप कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का कम अनुमान लगाया गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा विवरणियों में निहित आंकड़ों को परिलक्षित किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट की स्कीमों के प्रचालन के कारण राजस्व प्रभाव संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रों से अलग से प्राप्त किए गये।

2.8 वर्ष 2016-17 के दौरान दो प्रकार की क्षेत्र आधारित छूट योजनाएं चल रही थीं:

(क) धन वापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और

(ख) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

धन वापसी आधारित छूटों के मामले में, राजस्व प्रभाव की संगणना वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत या उनके द्वारा दावाकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूटों का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और ऐसे छूट का लाभ उठाने वाले यूनितों द्वारा योजित मूल्य पर वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.9 तदनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव 1,71,824 करोड़ रुपए बैठता है जिसमें 48,191 करोड़ रुपए सशर्त छूट, 1,00,660 करोड़ रुपए बिना शर्त छूट, रुपए 22,973 करोड़ क्षेत्र आधारित छूट शामिल है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क ड्यूटी छूटों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 71,164 करोड़ रुपए बैठता है।

3. अप्रत्यक्ष करों के राजस्व प्रभाव का नीचे संक्षेप में वर्णन किया गया है:

**वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों (अप्रत्यक्ष करों) का राजस्व प्रभाव**

	2016-17 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	2017-18 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अनुमानित)
सीमा शुल्क	75,100	36,381
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	71,164	-
<b>जोड़</b>	<b>1,46,264</b>	<b>36,381</b>

4. माल एवं वस्तु कर के अंतर्गत छूट का राजस्व प्रभाव बजट 2019-20 से प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग  
31 मार्च, 2018 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक 2016-2017	संशोधित अनुमान 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019
<b>क. निधियों के स्रोत :</b>			
<b>लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :</b>			
<b>बचत जमा राशियां</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	448293.84	504262.77	579370.54
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	55968.93	75107.77	79919.56
<b>बचत प्रमाण-पत्र</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	194176.95	197770.60	202873.08
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	3593.65	5102.48	5703.66
<b>लोक भविष्य निधि</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	372753.98	430456.92	480705.74
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	57702.94	50248.82	54178.23
<b>कुल जमा राशियां</b>	<b>1132490.29</b>	<b>1262949.36</b>	<b>1402750.81</b>
<b>ख. निधियों का उपयोग :</b>			
<b>31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
<b>1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	60716.15	66002.60	134969.60
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	10290.45	75000.00	30778.12
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-5004.00	-6033.00	-13533.00
<b>1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	571048.80	538651.46	508668.12
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	7417.38	10500.00	11025.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-39814.72	-40483.34	-42667.78
<b>प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	188570.81	250719.50	284380.50
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	62148.69	33661.00	57754.88
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
<b>सरकारी एजेंसियों में निवेश</b>			
<b>भारतीय खाद्य निगम में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	70000.00	81000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	70000.00	25000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-14000.00	-19000.00
<b>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	20000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	20000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>एयर इंडिया</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	3000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	3000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	-3000.00
<b>अन्य एजेंसियां</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	58684.78
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	58684.78	127971.88
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	-5868.48
<b>कुल निवेश</b>	<b>989942.75</b>	<b>1155272.19</b>	<b>1298732.81</b>
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	100993.92	107677.17	104018.00
नकद शेष	41553.62	...	...
<b>जोड़</b>	<b>1132490.29</b>	<b>1262949.36</b>	<b>1402750.81</b>

## भाग ख

# आस्ति और देयता विवरण

## 1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2017-2018 (सं.अ.) के अंत के 82,32,653.56 करोड़ रुपए की तुलना में 2018-19 के अंत में 89,58,193.05 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	79,89,245.06	87,03,357.16
विदेशी ऋण	2,43,408.50	2,54,835.89
<b>जोड़</b>	<b>82,32,653.56</b>	<b>89,58,193.05</b>

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय ढुंडियों सहित राजकोषीय ढुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2017-18 और 2018-2019 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसाकि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2016-17 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

## 1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
<b>क लोक ऋण</b>	<b>2054.33</b>	<b>4425347.66</b>	<b>4935804.80</b>	<b>5515097.55</b>	<b>5969968.10</b>	<b>6668325.89</b>	<b>7251055.83</b>
<b>1. आंतरिक ऋण</b>	<b>2022.30</b>	<b>4240766.92</b>	<b>4738291.03</b>	<b>5304835.44</b>	<b>5741709.39</b>	<b>6424917.39</b>	<b>6996219.94</b>
(i) बाजार ऋण (विवरण 2, 2क और 2ख)	1444.95	3441641.37	3891734.04	4298783.99	4649486.99	5062880.71	5459131.20
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2ग)	358.02	72817.95	67817.95	64817.95	64817.95	53817.95	47687.95
(iiक) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2ट)	...	...	...	...	...	80000.00	145000.00
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1489.28	1489.28	1489.28	...	...	...
(iv) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	13628.15	13440.43	12446.11	25108.06	52748.28	77059.48
(v) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	86815.77	85678.37	121127.23	156569.67	126569.67	126569.67
(vi) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	125760.61	128961.47	132854.71	106840.05	214430.35	214430.35
(vii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	76417.43	77337.37	77806.97	85436.30	77852.66	85852.66
(viii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	136956.26	143152.18	154033.20	142525.75	149988.99	158988.99
(ix) अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...
(x) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(xi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	35181.05	46395.07	106726.17	108739.65	101815.81	101686.67
(xii) लघु बचतों के एवज में प्रतिभूतियां	...	229165.37	261391.19	313856.15	381291.29	483919.29	558919.29
(xiii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
<b>2. विदेशी ऋण*</b>	<b>32.03</b>	<b>184580.74</b>	<b>197513.77</b>	<b>210262.11</b>	<b>228258.71</b>	<b>243408.50</b>	<b>254835.89</b>
<b>ख. अन्य देनदारियां</b>	<b>811.07</b>	<b>1244080.82</b>	<b>1306716.12</b>	<b>1386873.72</b>	<b>1466093.21</b>	<b>1564627.67</b>	<b>1707437.22</b>
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	629183.90	646895.29	701368.61	751198.99	779030.06	843831.51
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	143425.04	155334.26	167192.59	184938.01	199938.01	216938.01
3 अन्य खाते	16.10	315420.76	315629.59	319800.04	321856.76	360046.04	402030.00
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियों और एफसीआई) (विवरण 2ड, 2च और 2छ)	...	166327.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	149092.86	152801.69	156972.14	159028.86	197218.14	239202.10
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	156051.12	188856.98	198512.48	208099.45	225613.56	244637.70
(i) सव्याज	260.85	95479.27	108767.34	124239.65	128981.16	136322.47	146351.21
(ii) निर्व्याज	102.20	60571.85	80089.64	74272.83	79118.29	89291.09	98286.49
<b>जोड़-देनदारियां</b>	<b>2865.40</b>	<b>5669428.48</b>	<b>6242520.92</b>	<b>6901971.27</b>	<b>7436061.31</b>	<b>8232953.56</b>	<b>8958493.05</b>
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	5669128.48	6242220.92	6901671.27	7435761.31	8232653.56	8958193.05
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
<b>जोड़ (निवल)</b>	<b>2565.40</b>	<b>5669128.48</b>	<b>6242220.92</b>	<b>6901671.27</b>	<b>7435761.31</b>	<b>8232653.56</b>	<b>8958193.05</b>

\* शेष राशियां खाता मूल्य के अनुसार हैं।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण  
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
<b>क. पूंजी परिव्यय</b>							
<b>1. सामान्य सेवाएं</b>	<b>496.74</b>	<b>736552.32</b>	<b>826737.45</b>	<b>918481.95</b>	<b>1017844.99</b>	<b>1119480.66</b>	<b>1230320.13</b>
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	663251.69	745138.67	825113.98	911467.90	997967.38	1091977.93
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	73300.63	81598.78	93367.97	106377.09	121513.28	138342.20
<b>2. सामाजिक सेवाएं</b>	<b>26.25</b>	<b>38039.47</b>	<b>42914.92</b>	<b>48321.73</b>	<b>53618.59</b>	<b>62946.05</b>	<b>73909.95</b>
<b>3. आर्थिक सेवाएं</b>	<b>965.02</b>	<b>717200.08</b>	<b>793128.05</b>	<b>973865.97</b>	<b>1114455.31</b>	<b>1231725.59</b>	<b>1371773.96</b>
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	13802.52	14283.27	14781.70	16332.96	20562.51	24266.66
(ii) ग्रामीण विकास	...	73.75	75.59	79.29	84.25	84.25	84.25
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	4522.08	4624.02	4881.93	5265.96	12619.55	21598.71
<b>(iv) जल और विद्युत विकास</b>	<b>5.59</b>	<b>62949.87</b>	<b>63035.12</b>	<b>64467.77</b>	<b>66852.32</b>	<b>69966.30</b>	<b>75845.33</b>
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	529.71	577.71	692.49	795.53	1112.17	1730.60
(ख) ऊर्जा	...	62420.16	62457.41	63775.28	66056.79	68854.13	74114.73
(v) उद्योग और खनिज	34.34	60915.39	64696.40	67878.16	70260.06	74520.67	79017.62
<b>(vi) परिवहन</b>	<b>830.40</b>	<b>324650.12</b>	<b>377794.59</b>	<b>446835.16</b>	<b>539234.06</b>	<b>629373.42</b>	<b>739336.37</b>
(क) रेलवे	817.93	123059.04	231712.23	266906.54	312091.06	351741.09	404468.08
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	201591.08	146082.36	179928.62	227143.00	277632.33	334868.29
<b>(vii) संचार</b>	<b>49.98</b>	<b>14755.66</b>	<b>16213.40</b>	<b>19761.55</b>	<b>23238.60</b>	<b>28119.87</b>	<b>33023.84</b>
(क) डाक सेवाएं	49.98	3139.58	3312.54	3647.71	3877.16	4525.89	5072.11
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4742.39	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	6873.69	8181.48	11394.46	14642.06	18874.60	23232.35
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	24173.76	27362.18	31401.92	36631.55	41951.38	48997.37
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	211356.93	225043.48	323778.49	356555.55	354527.64	349603.81
<b>4. संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2275.25</b>	<b>4115.37</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1488.01</b>	<b>1491791.87</b>	<b>1662780.42</b>	<b>1940669.65</b>	<b>2185918.89</b>	<b>2416427.55</b>	<b>2680119.41</b>
<b>(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण</b>							
राज्य सरकारों को	195.58	145812.91	147166.80	148217.38	153463.12	162202.83	173194.75
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	...	4057.83	4054.50	4067.10	4084.24	3749.33	3318.61
विदेशी सरकारों को	0.01	7819.26	9210.62	12034.59	12920.15	13366.28	13877.49
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	519145.07	543498.81	571048.80	538651.47	508668.13	477025.35
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	1500.00	1500.00	...	70000.00	162684.78	262788.18
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	82921.52	95760.77	97387.77	104630.23	113952.49	126571.47
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	578.37	451.61	331.02	194.25	69.25	-55.75
<b>जोड़</b>	<b>220.68</b>	<b>761834.96</b>	<b>801643.11</b>	<b>833086.66</b>	<b>883943.46</b>	<b>964693.09</b>	<b>1056720.10</b>
<b>जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण</b>	<b>1708.69</b>	<b>2253626.83</b>	<b>2464423.53</b>	<b>2773756.31</b>	<b>3069862.35</b>	<b>3381120.64</b>	<b>3736839.51</b>
बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>1708.69</b>	<b>2253626.83</b>	<b>2464423.53</b>	<b>2773756.31</b>	<b>3069862.35</b>	<b>3381120.64</b>	<b>3736839.51</b>
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	3415501.65	3777797.39	4127914.96	4365898.96	4851532.92	5221353.54
<b>जोड़</b>	<b>2565.40</b>	<b>5669128.48</b>	<b>6242220.92</b>	<b>6901671.27</b>	<b>7435761.31</b>	<b>8232653.56</b>	<b>8958193.05</b>

**1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियाँ**  
**राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण**

(रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17 के अंत की स्थिति के अनुसार)  
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग	4036.00 (2)	2531.00 (2)	1505.00	...	...	...	4036.00 (2)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	17469.94 (17)	17252.92 (17)	217.02	713.32 (1)	...	...	16756.62 (16)	67.63	68.95	...
	राजस्व विभाग	800.00 (1)	...	800.00 (1)	...	...	...	800.00 (1)	8.00	...	...
	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक, वितरण मंत्रालय	54495.00 (2)	54495.00 (2)	...	...	...	...	54495.00 (2)	...	...	...
	उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	365.00 (3)	365.00 (3)	...	...	112.00	...	253.00 (3)	15.97	2.53	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	269.00 (1)	269.00 (1)	...	7.00	...	...	262.00 (1)	75.56	...	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2.55 (1)	2.55 (1)	...	2.55 (1)	...	...	...	...	...	...
	भेषज विभाग	1102.56 (9)	1067.19 (9)	35.37	...	...	...	1102.56 (9)	77.95	...	...
<b>जोड़</b>		<b>78540.05 (36)</b>	<b>75982.66 (35)</b>	<b>2557.39 (1)</b>	<b>722.87 (2)</b>	<b>112.00</b>	<b>...</b>	<b>77705.18 (34)</b>	<b>245.11</b>	<b>71.48</b>	<b>...</b>
2. शेयर पूँजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	...	...	...	...	250.00 (2)	2.50	...	...



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	13074.52 (15)	13074.52 (15)	...	74.52 (13)	...	...	13000.00 (2)	...	...	...
	रेल मंत्रालय	0.07 (2)	0.07 (2)	...	0.02 (1)	...	...	0.05 (1)	...	...	...
	संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग	7513.97 (4)	7513.97 (4)	...	...	...	...	7513.97 (4)	75.59	105.39	...
<b>जोड़</b>	<b>27838.56 (25)</b>	<b>27838.56 (25)</b>	...	<b>74.54 (14)</b>	...	...	<b>27764.02 (11)</b>	<b>148.09</b>	<b>175.39</b>	...	
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियां हेतु किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि को प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	40452.70 (31)	36300.30 (28)	4152.40 (3)	...	...	...	40452.70 (31)	1036.05	117.15	...
	कोयला मंत्रालय	692.40 (3)	692.40 (3)	...	69.10	...	...	623.30 (3)	6.24	6.24	...
	विद्युत मंत्रालय	33604.22 (37)	31406.78 (36)	2197.44 (1)	2416.52 (2)	...	...	31187.70 (35)	364.25	364.25	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	154015.50 (178)	135637.93 (164)	18377.57 (14)	4762.30 (4)	...	...	149253.20 (174)	177.54	174.94	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	58.75 (3)	58.37 (3)	0.38	7.00	...	...	51.75 (3)	0.32	0.24	...
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	703.66 (1)	670.80 (1)	32.86	48.15	...	...	655.51 (1)	1.76	1.76	...
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	7302.77 (11)	5019.71 (11)	2283.06	284.28	...	...	7018.49 (11)	60.29	60.29	...
	इस्पात मंत्रालय	418.68 (2)	418.68 (2)	...	55.34	...	...	363.34 (2)	1.03	1.03	...
	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	489.14 (2)	485.07 (2)	4.07	66.52	...	...	422.62 (2)	3.83	3.83	...
	वाणिज्य विभाग	1.73 (1)	1.73 (1)	...	0.90	...	...	0.83 (1)	0.05	...	...
शहरी विकास मंत्रालय	797.13 (2)	539.75 (2)	257.38	7.19	...	...	789.94 (2)	6.52	6.52	...	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेश मंत्रालय	33270.51 (6)	28187.76 (5)	5082.75 (1)	3370.39	...	...	29900.12 (6)	...	...	...
	<b>जोड़</b>	<b>271807.19 (277)</b>	<b>239419.28 (258)</b>	<b>32387.91 (19)</b>	<b>11087.69 (6)</b>	...	...	<b>260719.50 (271)</b>	<b>1657.88</b>	<b>736.25</b>	...
4.	इस्पात मंत्रालय	518.36 (8)	518.36 (8)	...	518.36 (8)	...	...	...	...	...	...
	कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।										
	<b>जोड़</b>	<b>518.36 (8)</b>	<b>518.36 (8)</b>	...	<b>518.36 (8)</b>	...	...	...	...	...	...
5.	कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाले देयों/भाड़ा प्रभारों का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.	विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.	विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.	अन्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>कुल जोड़</b>	<b>378704.16 (346)</b>	<b>343758.86 (326)</b>	<b>34945.30 (20)</b>	<b>12403.46 (30)</b>	<b>112.00</b>	...	<b>366188.70 (316)</b>	<b>2051.08</b>	<b>983.12</b>	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

**टिप्पणी:**

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- दिनांक 31.3.2016 को अंतिम शेष और 1.4.2016 को आरंभिक शेष जैसा ऊपर सूचित किया गया है, ₹3.30 करोड़ है, जो रिकार्डों में मिलान के कारण है।
- वर्ष 2016-2017 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 22,429.84 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6- कॉलम 7) है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹34945.30 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2016-2017 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.23 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए (17 जनवरी, 2018 तक) ₹ 31,190.22 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2017-18 में चालू मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.19% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।

**1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर**  
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17, के अंत की स्थिति के अनुसार)  
लागत (₹ करोड़)

	2016-17 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2016-17 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2016-17 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
<b>वास्तविक परिसम्पत्तियां:</b>			
भूमि	345603.69	7248.37	352852.05
भवन			
कार्यालय	30735.72	1479.55	32215.27
रिहायशी	17581.28	401.63	17982.91
सड़कें	11898.61	359.68	12258.29
पुल	12020.03	24.48	12044.51
सिंचाई परियोजनाएं	1307.59	13.22	1320.81
विद्युत परियोजनाएं	523.24	83.43	606.67
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3589.86	-98.51	3491.35
मशीनरी और उपस्कर	37037.67	1858.66	38896.33
कार्यालय उपस्कर	2833.63	277.84	3111.47
वाहन	1913.83	82.76	1996.58
<b>जोड़</b>	<b>465045.15</b>	<b>11731.10</b>	<b>476776.25</b>
<b>वित्तीय परिसम्पत्तियां</b>			
इक्विटी निवेश			
शेयर	185745.89	35265.82	221011.71
बोनस शेयर	793.41	7.91	801.32
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	3542.19	3.77	3545.96
विदेशी सरकारों को ऋण	12621.71	879.39	13501.10
कम्पनियों को ऋण	68833.55	3436.43	72269.98
अन्य को ऋण	36423.68	13953.46	50377.15
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	266887.20	34500.68	301387.88
अन्य	201291.80	1314.95	202606.75
<b>जोड़</b>	<b>776139.43</b>	<b>89362.42</b>	<b>865501.85</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1241184.58</b>	<b>101093.52</b>	<b>1342278.10</b>

**टिप्पणियां:**

- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया आवास और शहरी मामले मंत्रालय (₹165764 करोड़) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (₹8260 करोड़) द्वारा यथा सूचित दरों के संशोधन के कारण भूमि के लागत मूल्य में वृद्धि के कारण है।
- एफआरबीएम नियमामवी, 2004 में यथानिर्धारित के अनुसार, ₹ 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।

## 2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
		1950-1951	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017		
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	...	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	35751.20	...	...	...	...	...
6.07% सरकारी स्टॉक, 2014	15.05.2014	...	27958.20	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2014	20.05.2014	...	5000.00	...	...	...	...	...
10.00% ऋण, 2014	30.05.2014	...	1403.63	...	...	...	...	...
7.32% सरकारी स्टॉक, 2014	20.10.2014	...	13000.00	...	...	...	...	...
10.50% ऋण, 2014	29.10.2014	...	1025.36	...	...	...	...	...
7.56% सरकारी स्टॉक, 2014	03.11.2014	...	40845.08	...	...	...	...	...
11.83% सरकारी स्टॉक, 2014	12.11.2014	...	5042.46	...	...	...	...	...
10.47% सरकारी स्टॉक, 2015	12.02.2015	...	3769.40	...	...	...	...	...
10.79% सरकारी स्टॉक, 2015	19.05.2015	...	999.37	999.38	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2015	21.05.2015	...	1899.16	1899.16	...	...	...	...
6.49% सरकारी स्टॉक, 2015	08.06.2015	...	39500.14	36105.05	...	...	...	...
7.17% सरकारी स्टॉक, 2015	14.06.2015	...	55449.93	33071.82	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	02.07.2015	...	6000.00	6000.00	...	...	...	...
11.43% सरकारी स्टॉक, 2015	07.08.2015	...	7204.30	7204.30	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015 II	10.08.2015	...	6000.00	6000.00	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	54386.74	42648.75	...	...	...	...
9.85% सरकारी स्टॉक, 2015	16.10.2015	...	7437.78	7437.79	...	...	...	...
7.59% सरकारी स्टॉक, 2016	12.04.2016	...	68000.00	68000.00	35149.48	...	...	...
10.71% सरकारी स्टॉक, 2016	19.04.2016	...	9000.00	9000.00	8464.95	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2016	07.05.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	...	...	...
5.59% सरकारी स्टॉक, 2016	04.06.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	...	...	...
12.30% सरकारी स्टॉक, 2016	02.07.2016	...	13129.84	13129.85	13129.85	...	...	...
7.02% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	...	60000.00	52200.00	38093.26	...	...	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	...	69000.00	69000.00	66964.80	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	53000.00	53000.00	53000.00	31767.33	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	...	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	50000	50000.00	50000.00	27240.44	...	...
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	71000.00	71000.00	71000.00	35384.64	...	...
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	57886.80	57886.80	57886.80	37327.07	...	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80	...	...
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	53754.39	...
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	58815.00	...
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	...
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	...
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	50663.75	50663.75



ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					(₹ करोड़)	
							संशोधित	बजट
		1950-1951	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	72000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	56000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	39472.28	76472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	...	21000.00	74000.00	86000.00	86000.00	86000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	...	...	48000.00	73000.00	73000.00	73000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	...	...	...	22000.00	55000.00	55000.00
6.62% सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	...	...	...	10000.00	46000.00	46000.00
7.72 % सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	...	...	9000.00	29000.00	46000.00	46000.00
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	...	...	...	...	...	...
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92	...	...	...	...	...	...
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	194.95	19.08	19.76	28.84	28.84	28.84
जांच/मिलान के तहत अंतर			3.41	6.13	1.87	1.17	1.17	1.17
2017-18 में प्रतिभूति के निर्गम में अंतरण		...	...	...	...	...	15493.20	...
2018-19 में अनुमानित उधार अंतरण के जरिए निर्गम		...	...	...	...	...	...	605539.36
अंतरण के जरिए चुकौतियां (शेष आँकड़े)								28059.00
स्टॉक से वापसी खरीद (शेष आँकड़े)							-15968.00	-28059.00
स्टॉक से वापसी खरीद (शेष आँकड़े)							-29249.14	-37095.54
<b>जोड़-चालू ऋण</b>								
<b>(एमएसएस के अन्तर्गत ऋणों को छोड़कर)</b>		<b>1444.95</b>	<b>3414158.03</b>	<b>3864252.14</b>	<b>4276654.83</b>	<b>4627363.67</b>	<b>5040757.39</b>	<b>5437007.88</b>

## 2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>20808.75</b>	<b>20808.75</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>

## 2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	6582.59	6582.59	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14
आईआईएनएससी	05.06.2023	...	92.00	90.53	85.24	79.40	79.40	79.40
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>2674.59</b>	<b>6673.12</b>	<b>1320.38</b>	<b>1314.54</b>	<b>1314.54</b>	<b>1314.54</b>

## 2ग - विक्रेय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	...	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	...	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>72817.95</b>	<b>67817.95</b>	<b>64817.95</b>	<b>64817.95</b>	<b>53817.95</b>	<b>47687.95</b>



ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					(₹ करोड़)	
		1950-1951	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019

### 2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

### 2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

### 2ट - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

सरकारी स्टॉक,	...	...	...	...	...	80000.00	80000.00
सरकारी स्टॉक,	...	...	...	...	...	...	65000.00
जोड़	...	...	...	...	...	80000.00	145000.00



### 3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017		बजट अनुमान 2017-2018		संशोधित अनुमान 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
<b>क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :</b>								
अथ शेष	1015224.77	...	1103255.33	...	1132490.29	...	1262949.36	...
<b>1 संग्रहण और संवितरण :</b>								
(i) बचत जमा राशियां	404357.70	348388.77	442809.33	383597.35	446597.89	371490.12	469984.19	390064.63
(ii) बचत प्रमाण पत्र	29013.70	25420.05	24983.05	22984.28	43434.12	38331.64	45951.88	40248.22
(iii) लोक भविष्य निधि	82628.40	24925.46	71343.42	32923.74	76648.06	26399.24	81897.43	27719.20
<b>वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण</b>	<b>515999.80</b>	<b>398734.28</b>	<b>539135.80</b>	<b>439505.37</b>	<b>566680.07</b>	<b>436221.00</b>	<b>597833.50</b>	<b>458032.05</b>
<b>जोड़ (1)</b>	<b>531224.57</b>	<b>398734.28</b>	<b>1642391.13</b>	<b>439505.37</b>	<b>1699170.36</b>	<b>436221.00</b>	<b>1860782.86</b>	<b>458032.05</b>
<b>2 निवेश :</b>								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...	884904.94	...	994080.52	...	989942.74	...	1155272.18
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	5004.00	10290.45	8504.00	40000.00	6033.00	75000.00	13533.00	30778.12
(iv) 1.4.1999 से जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	39814.72	7417.38	41041.59	15000.00	40483.34	10500.00	42667.78	11025.00
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	62148.69	...	68661.16	...	33661.00	...	57754.88
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	...	70000.00	...	20000.00	14000.00	106684.78	27868.48	127971.88
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)	...	70000.00	...	...	14000.00	25000.00	19000.00	...
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	...	...	...	...	...	20000.00	...	...
(ग) एयर इंडिया	...	...	...	...	...	3000.00	3000.00	...
(घ) अन्य	...	...	...	...	...	58684.78	5868.48	127971.88
<b>वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी</b>	<b>44818.72</b>	<b>149856.52</b>	<b>49545.59</b>	<b>143661.16</b>	<b>60516.34</b>	<b>225845.78</b>	<b>84069.26</b>	<b>227529.88</b>
<b>जोड़ (2)</b>	<b>44818.72</b>	<b>1034761.46</b>	<b>49545.59</b>	<b>1137741.68</b>	<b>60516.34</b>	<b>1215788.52</b>	<b>84069.26</b>	<b>1382802.06</b>
<b>ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :</b>								
<b>3 ब्याज से आय:</b>								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	7941.85	...	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	9364.92	...	8489.76	...	7143.27	...	12481.77	...
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	54431.53	...	52532.39	...	52116.57	...	48882.65	...
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों के एवज में विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	62148.69	...	68661.16	...	33661.00	...	57754.88	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017		बजट अनुमान 2017-2018		संशोधित अनुमान 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
(V) सरकारी एजेंसियों में निवेश	...	...	3960.00	...	5194.58	...	14222.41	...
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)	...	...	3960.00	...	5194.58	...	7527.89	...
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	...	...	...	...	...	...	1540.00	...
(ग) एयर इंडिया	...	...	...	...	...	...	225.00	...
(घ) अन्य	...	...	...	...	...	...	4929.52	...
उप-जोड़	<b>90569.49</b>	...	<b>94984.44</b>	...	<b>94617.50</b>	...	<b>109153.59</b>	...
राष्ट्रीय लघु बचत निधि की अन्य आय:								
3. अन्य प्राप्तियां	333.12	...	365.00	...	400.00	...	450.00	...
जोड़ (3)	<b>90902.61</b>	...	<b>95349.44</b>	...	<b>95017.50</b>	...	<b>109603.59</b>	...
<b>4 व्याज भुगतान:</b>								
बचत जमा राशियां	...	33085.39	...	34110.00	...	34244.25	...	35614.02
बचत प्रमाण पत्र	...	18668.69	...	27090.00	...	27026.39	...	28312.32
लोक भविष्य निधि	...	26466.69	...	29400.00	...	30000.00	...	31500.00
जोड़ (4)	...	<b>78220.77</b>	...	<b>90600.00</b>	...	<b>91270.64</b>	...	<b>95426.34</b>
<b>5 प्रबंधन लागत:</b>								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	7173.13	...	7578.64	...	7786.77	...	8176.11
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	...	...	250.00	...	264.51	...	250.00
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	2265.37	...	2410.66	...	2343.83	...	2066.96
मुद्रण की लागत	...	20.36	...	25.00	...	35.00	...	25.00
जोड़ (5)	...	<b>9458.86</b>	...	<b>10264.30</b>	...	<b>10430.11</b>	...	<b>10518.07</b>
<b>6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)</b>	<b>90902.61</b>	<b>87679.63</b>	<b>95349.44</b>	<b>100864.30</b>	<b>95017.50</b>	<b>101700.75</b>	<b>109603.59</b>	<b>105944.41</b>
<b>7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)</b>		<b>-3222.98</b>		<b>5514.86</b>		<b>6683.25</b>		<b>-3659.18</b>

टिप्पणी: 1. वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि से वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को ₹ 389.16 करोड़ की राशि अंतरित की गई।

2. वर्ष 2016-17 के लिए बैंकों को एजेंसी प्रभार के रूप में भुगतान की जाने वाली ₹ 114.51 करोड़ राशि का भुगतान 2017-18 में किया गया था। इसलिए वर्ष 2017-18 में बैंकों को किए जाने वाले वास्तविक भुगतान में यह राशि भी शामिल होगी।

## 4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष में अवधि (वार्षिकी अवधि) से तक	वर्ष की संख्या	वार्षिकी भुगतान (प्रति वर्ष)	
(₹ करोड़)							
<b>सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय</b>							
(i)	<b>एनएचडीपी चरण-I</b>	<b>2353.70</b>	<b>8635.08</b>			<b>575.67</b>	
	पनगढ़-पलसित (किमी. 517-581)	350.00	1665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00
	पलसित-दांकुनी दुर्गापुर एक्सप्रेसवे (किमी. 581-646)	432.40	1199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00
	अंकापली-टूनी ((किमी.359.2-300) टूनी-धर्मावरम (आं.प्र-16) (कि.मी. 300-253)	283.20	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96
	धर्मावरम-राजामुंद्री (आं.प्र-15) (कि.मी. 253-200)	231.90	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82
	नेल्लोर बाइपास	206.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24
	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	143.20	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92
	ताम्बरम-तिंडीवनम	332.00	1515.30	20-06-2005	20-12-2019	15	101.02
		375.00	1255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.71
(ii)	<b>एनएचडीपी चरण-II</b>	<b>6851.91</b>	<b>20853.99</b>				<b>1204.73</b>
	गोरखपुर बाइपास (किमी. 251.70-279.80)	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-उ.प्र./ग्वालियर झांसी (किमी 16 से रा.रा. 75 का किमी. 96.127)	604.00	1830.15	वार्षिकी अभी शुरू नहीं		17.5	104.58
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.1/ग्वालियर बाइपास (रा.रा.डिवीजन-3 का किमी 103 से रा.रा. 75 का किमी. 16)	300.93	928.55	02-01-2013	06-04-2027	17.5	53.06
	लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा, (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 547.4-596.75)	263.17	784.70	26-09-2009	26-03-2027	17.5	44.84
	म.प्र. एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-2 में लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 596.75-653.225)म.प्र.	407.60	1239.00	22-05-2010	22-10-2027	17.5	70.80
	एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-3 में बिहार में एनएच डिवी.-57 पर कोसी सेतू और एप्रोच (किमी.165-155) (बीआर-5)	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80
	बारा-उरई (रा.रा.डिवी.2 पर किमी 449 से किमी 422 तक और किमी 255 से 220 तक)	465.00	1344.75	24-10-2009	24-04-2024	15	89.65
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-डिवी.26 का किमी 49.79-99) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-25 और 26 का किमी 0-49.79-9) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90
	कोटलाकाता-कुरनूल (आं.प्र-5) किमी 135.740- 211)	592.00	2034.72	15-09-2006	14-09-2026	18	113.04
	(महा./आं.प्र सीमा से इस्लाम नगर एनएस-2/बीओटी/आ.प्र-6)किमी 175 से किमी 230	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96
	इस्लाम नगर से कडताल (एनएस-2/बीओटी/ आं.प्र-7) किमी 230 से 278	546.83	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74
	कडताल से अरसुर (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-8) किमी 278 से किमी 308	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60

							(₹ करोड़)
मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष में अवधि (वार्षिकी अवधि) से तक	वर्ष की संख्या	वार्षिकी भुगतान (प्रति वर्ष)	
	कडलूर येल्लारेड्डी से गुण्डला पंचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-2) (अमूर-कालकल्लू गांव) आं.प्र-2) आं.प्र/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग तथा देवनहल्ली से मीनुकुंटी गांव	490.00	1950.48	24-09-2009 25-09-2026	18	108.36	
	पालनपुर से स्वरूपगंज (राज.-42 किमी और गुज.-34 किमी)	402.80	1185.84	20-04-2009 25-03-2027	18	65.88	
		498.00	1296.30	24-03-2009 24-03-2024	15	86.42	
(iii)	<b>जम्मू-कश्मीर</b>	<b>7060.46</b>	<b>28324.08</b>			<b>1798.48</b>	
	जम्मू-उधमपुर	1813.76	6864.60	01-06-2014 01-06-2031	17	403.80	
	काजीगुंड-बनिहाल	1987.00	7350.00	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	15	490.00	
	चेनानी-नशरी	2159.00	9525.60	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	15	635.04	
	श्रीनगर-बनिहाल	1100.70	4583.88	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	17	269.64	
(iv)	<b>एनएचडीपी चरण-III</b>	<b>8947.00</b>	<b>22955.79</b>			<b>1626.25</b>	
	बरही-हजारीबाग-रांची-माहुलिया रा.रा-डिवी.1का अमृतसस-वाघा सीमा भाग किमी. 455.400 किमी.से 491.620	625.07	1986.48	14-03-2013 14-03-2028	15.5	128.16	
	पटना-मुजफ्फरपुर	205.88	664.20	01-02-2010 31-08-2027	18	36.90	
	त्रिची-कराडकुडी को दो लेन बनाना तथा त्रिची बाइपास	671.30	2365.00	01-03-2017 01-09-2029	12.5	189.20	
	हरिद्वार-देहरादून	374.00	554.97	16-08-2014 15-02-2027	13	42.69	
	छपरा-हाजीपुर को चार लेन का बनाना	478.00	1862.70	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	17.5	106.44	
	मोकामा-मुंगेर को 2 लेन का बनाना	575.00	1635.75	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	12.5	130.86	
	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा को 2 लेन का बनाना	351.54	1038.44	19-07-2013 14-05-2026	13	79.88	
	डिंडीगुल-पेरिगुलाम-थेनी-कुमीली को 2 लेन का बनाना	511.54	1834.00	25-05-2014 25-05-2031	17.5	104.80	
	पूर्णिमा खगरिया रा.रा.- डिवी.31 को 2 लेन का बनाना	485.00	738.00	07-07-2013 07-01-2031	18	41.00	
	कृष्णनगर-बहरामपुर रा.रा. डिवी.34 को 4 लेन का बनाना	664.00	1624.00	02-04-2014 02-10-2028	14.5	112.00	
	बरासत-कृष्णनगर रा.रा. डिवी.34 को 4 लेन का बनाना	702.16	1530.00	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	12.5	122.40	
	रीगस सीकर को 4 लेन का बनाना	867.00	2145.42	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	14.5	147.96	
	रांची जमशेदपुर कृष्णागिरि- त्रिवेन्द्रम को 4 लेन का बनाना	333.51	544.33	01-09-2014 28-02-2029	14.5	37.54	
		1479.00	3392.50	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	12.5	266.42	
		624.00	1040.00	वार्षिकी अभी शुरू नहीं	13	80.00	
(v)	<b>एनएचडीपी चरण-IV</b>	<b>3704.04</b>	<b>12987.00</b>			<b>811.00</b>	
	नागपुर-बैतूल लखनऊ- रायबरेली रायबरेली- जौनपुर को 4 लेन का बनाना	2498.76	9596.40	18-08-2015 18-08-2031	16.5	581.60	
		635.90	1461.60	16-07-2015 15-07-2029	14.5	100.80	
		569.38	1929.00	02-12-2016 02-06-2031	15	128.60	
(vi)	<b>एसएआरडीपी-एनई</b>	<b>762.00</b>	<b>3062.22</b>			<b>194.76</b>	
	शिलांग-बाइपास	226.00	596.88	25-09-2013 25-03-2025	12	49.74	
	जोरहाट-बारापानी	536.00	2465.34	28-07-2016 28-01-2031	15	145.02	
<b>कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय</b>		<b>29679.11</b>	<b>96818.16</b>			<b>6210.89</b>	

							(₹ करोड़)
मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष में अवधि (वार्षिकी अवधि) से	तक	वर्ष की संख्या	वार्षिकी भुगतान (प्रति वर्ष)
<b>गृह मंत्रालय</b>							
(ii) दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का विकास	790.58	1897.00*	वार्षिकी अभी शुरू नहीं		12	125.50
(ii) दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	1178.81**	जन., 2019	जन., 2031	13	78.00
<b>कुल जोड़ - गृह मंत्रालय</b>		<b>992.58</b>	<b>3075.93</b>				<b>203.50</b>
<b>जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b>							
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट हरिद्वार, उत्तराखंड में परियोजना	261.61	205.12#	01-01-2020	31-12-2035	15	13.67
	50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट वाराणसी, उत्तर प्रदेश में परियोजना	226.49	185.53#	01-01-2020	31-12-2035	15	12.37
<b>कुल- संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b>		<b>488.10</b>	<b>390.65</b>				<b>26.04</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>31159.79</b>	<b>100284.74</b>				<b>6440.43</b>

\* की गई कुल वार्षिकी बचनबद्ध 24 में से प्रत्येक ₹62.75 करोड़ जो ₹1506 करोड़ बैठता है + ₹158.06 करोड़ के दो निर्माण संबद्ध एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक का जोड़ ₹316.12 करोड़ + दायरा बदलने की लागत ₹75 करोड़ अनंतिम।

\*\* की गई कुल वार्षिकी बचनबद्ध 26 में से प्रत्येक ₹39 करोड़ जो ₹1014 करोड़ बैठता है + ₹40.40 करोड़ के दो निर्माण संबद्ध एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक का जोड़ ₹80.80 करोड़ + आंतरिक एवं 100% वातानुकूलन सहित दायरा बदलने की लागत अनंतिम ₹84.01 करोड़।

# कुल वचनबद्ध वार्षिकी परियोजना का कुल मूल्य और हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत अगले दो वर्षों में अग्रणी चुकता की जाने वाली पूंजी लागत के 40% के बीच का अन्तर है। तदनुसार, 01-01-2018 से 31-12-2019 तक की अवधि के दौरान हरिद्वार एसटीपी परियोजनाओं के लिए ₹50.49 करोड़ का भुगतान करना है और वाराणसी एसटीपी परियोजनाओं के लिए ₹40.95 करोड़ का भुगतान करना है।

टिप्पणी: मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी।

## 5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018	संशोधित अनुमान 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019
1. ऋण	44,191.49	46,070.00	42,212.00	40,881.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	...	...	-12,732.00	14,016.00
क. निवल विदेशी ऋण (1-2)	44,191.49	46,070.00	29,480.00	26,865.00
ख. नकद अनुदान	1,299.59	1,948.00	1,513.00	1,387.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	...	1,112.00	2,168.00	1,280.00
<b>घ. जोड़ (क+ख+ग)</b>	<b>45,491.08</b>	<b>49,130.00</b>	<b>33,161.00</b>	<b>29,532.00</b>
ङ. ऋणों की वापसी-अदायगी	26,194.89	30,281.00	27,066.00	29,455.00
<b>च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)</b>	<b>19,296.19</b>	<b>18,849.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>77.00</b>
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	5,144.28	5,768.00	5,792.00	6,188.00
<b>ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)</b>	<b>14,151.91</b>	<b>13,081.00</b>	<b>303.00</b>	<b>-6,111.00</b>

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को भी स्वीकृत किया जाए।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं, कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

### (क) द्विपक्षीय

#### I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेंसी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) है। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- "कोची मेट्रो परियोजना" जैव-विविधता परिरक्षण और "बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II"।

#### II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पुष्णीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंड्रा ट्रांशमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

### III. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजना'।

### IV. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पहले यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था, जिसमें 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

### ख. बहुपक्षीय

#### I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था। एडीबी के ऋणों की ब्याज दर परिवर्तनशील होती है अधिकतम 25 वर्षों की परिपक्वता अवधि के साथ 6 मासिक एलआईबीओआर जमा 0.04 से 0.60 तक की घट-बढ़ दर होती है, इन ऋणों में 5 वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है। असंवितरित ऋण राशि पर 0.15% प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार उन ऋणों पर लागू होता था जो 2 अक्टूबर 2010 के बाद प्रारंभ किए गए।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कोशल विकास और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, कृषि-कारोबार अवसंरचना विकास निवेश और पर्यटन तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'सासेक सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

#### II. यूरोपीय संघ बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसे पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी 23 कि.मी. लंबी 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन' के निर्माण हेतु 450 मिलियन यूरो (लगभग ₹3300 करोड़) प्रदान करेगा।

#### III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसिव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

#### IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है।

वर्तमान में, आईएफएडी द्वारा सहायता प्राप्त कुल 18 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजीविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना।

#### V. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। भारत में एनडीबी द्वारा दिया गया प्रथम ऋण 350 मिलियन अमरीकी डॉलर का है जो मध्य प्रदेश में प्रमुख-प्रमुख जिला सड़कों के वित्तपोषण के लिए है।

**VI. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)**

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। भारत में 2017 में एआईआईबी के साथ दो ऋणों - एक विद्युत और दूसरा सड़क क्षेत्र के लिए - पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

**VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)**

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) 2013-17 में प्रजातंत्रिक सुशासन, गरीबी उन्मूलन, एचआईबी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्थायी विकास और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है।

**VIII. विश्व बैंक समूह**

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

**VIII(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)**

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्प्लोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

**VIII(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)**

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों, जो अधिकांश एसडीआर में होता है, किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा सहायता की जा रही है।



## 6. वर्ष 2018-19 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
<b>बाजार ऋण</b>			
1.	7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	53754.38
2.	8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	58815.00
3.	10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	3716.00
4.	5.69% सरकारी ऋण 2018	25.09.2018	10000.00
5.	5.69% सरकारी ऋण 2018	25.09.2018	6130.00
6.	12.60% सरकारी स्टॉक, 2017	23.11.2018	12631.88
7.	5.64% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2019	10000.00
8.	6.05% सरकारी स्टॉक, 2018	02.02.2019	53000.00
9.	<b>कुल वापसी अदायगी (25.01.2018 को)</b>		<b>208047.26</b>
10.	घटाएं : वर्ष 2018-19 को स्टॉकों में परिवर्तन और पुनर्खरीद हेतु प्रावधान (शेष आंकड़ें)		64569.39
11.	वर्ष 2018-19 में देय राशि		143477.87
12.	वर्ष 2018-19 में सरकारी स्टॉक के परिवर्तन देय राशि हेतु प्रावधान		
	(i) बकाया से प्रतिभूतियां	28059.00	
	(ii) दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के लिए प्रतिभूतियां	-28059.00	...
13.	वर्ष 2018-19 में सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद हेतु प्रावधान		71941.00